



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2007.08

प्राक्कथन

कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य एवं महत्वपूर्ण अंग है तथा वे राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । कोषालय अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिये शासन ने संहिताएं नियमावलियां एवं प्रक्रियाएं निर्धारित कर रखी है । अतएव कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली एवं विनिर्दिष्ट नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है ।

कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वर्ष 2007-08 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों में तैयार किया गया है । भाग-एक में कोषालयों की संरचना एवं संगठन का उल्लेख किया गया है । भाग दो में कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जांच के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियां/अनियमितताएं दर्शाई गई हैं एवं भाग-तीन में कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान इनकी कार्य प्रणाली से संबंधित संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/कमियों को दर्शाया गया है ।

कोषालयों/उपकोषालयों की कार्यप्रणाली में नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और सुधारों की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन उन्हें अनियमितताओं से बचने को प्रेरित करने में सहायक होगा ।



महालेखाकार
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम

ग्वालियर
दि. 12.12.08

मुख्य अंश

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2007-08 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :-

- कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत संक्षिप्त सार एवं राज्य अदायगी सूची में दर्शाये गये आंकड़ों तथा राज्य अदायगी सूची एवं भुगतान अनुसूची में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर पाया जाना ।

(कंडिका 2.1.2)

- कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में 1 दिन से 17 दिन तक विलंब किया जाना ।

(कंडिका 2.3)

- कोषालयों के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर.बी.डी. पत्रकों में दर्ज अंकों में अंतर पाया जाना ।

(कंडिका 2.5.1)

- पांचवें वेतन आयोग के सिफारिश पर पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण पर अतिरिक्त/अधिक कम्युटेशन मूल्य को गणना में लेने से पेंशन कम्युटेशन राशि रु. 15.38 लाख का अधिक भुगतान किया जाना ।

(कंडिका 3.3.1)

- सार्वजनिक बैंकों से परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन प्रकरणों की निर्धारित जांच कोषालय अधिकारियों द्वारा न करने से परिवार पेंशन प्रकरणों में राशि रु. 17.89 लाख का अधिक भुगतान किया जाना ।

(कंडिका 3.3.3)

- सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का निर्धारित अवधि में भुगतान न किया जाना ।

(कंडिका 3.4.1)

➤ प्राकृतिक आपदा के आकस्मिक मामलों में बिना बजट के भुगतान करने से संबंधित कोषालय नियम-27 का गलत उपयोग करके राशि रू. 3.32 करोड़ का अनियमित आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.1)

➤ सहायक अनुदान/अंशदान देयकों को कोषालयों में गलत प्रपत्र पर प्रस्तुत कर राशि रू. 7.90 करोड़ का अनियमित आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.2)

➤ बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिये अखर्चित राशियों का अनियमित आहरण कर राशि रू. 154.44 करोड़ का व्यक्तिगत जमा खातों/बैंक खातों में जमा किया जाना ।

(कंडिका 3.5.3)

➤ प्रतिबंधित अवधि में कोषालयों से राशियों का आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.4)

➤ तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशियों को व्यपगत न करके राशि रू. 579.94 लाख का अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने से अवरुद्ध रखा जाना ।

(कंडिका 3.6.2)

➤ तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों की राशि को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण न करके राशि रू. 282.98 लाख का अवरुद्ध रखा जाना ।

(कंडिका 3.6.4)

➤ राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर ऋण नामें द्वारा बन्द न करके राशि रू. 251.44 करोड़ का अवरुद्ध रखा जाना

(कंडिका 3.6.5)

➤ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(एच) के प्रावधान अनुसार मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदाय कमीशन/छूट से आयकर एवं अधिभार की राशि रू. 190.91 लाख की कटौती स्रोत पर न किया जाना ।

(कंडिका 3.9.1)

- मुद्रांको का निर्धारित सीमा से राशि रू. 290.96 करोड़ का अधिक भण्डारण ।
(कंडिका 3.9.2)
- कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।
(कंडिका 3.10.1)
- कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन में संरक्षण एवं सुरक्षा का अभाव पाया जाना ।
(कंडिका 3.10.2)

कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2007-08

भाग-1

प्रस्तावना -

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय, कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय, उप कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने तथा अधीनस्थ उपकोषालयों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

संरचना/संगठन -

मध्य प्रदेश राज्य में कुल 53 कोषालय एवं 159 उपकोषालय हैं। सभी कोषालय/उप कोषालय, बैंकिंग कोषालय/उपकोषालय के रूप में कार्यरत हैं। (परिशिष्ट संख्या 1)

उक्त कोषालयों एवं उपकोषालयों में से 40 कोषालयों एवं 131 उपकोषालयों (वार्षिक एवं द्विवार्षिक) का निरीक्षण वर्ष 2007-08 में किया गया। (परिशिष्ट संख्या 2)

कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति-

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2007-08	1590	1281	1079	202
योग	1590	1281	1079	202

भाग-2

लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां/ विसंगतियां

2.1 लेखों के तैयार करने में पाई गई कमियां

2.1.1 लेखों के संकलन के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-3 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा राशियों का गलत वर्गीकरण कर लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया ।

2.1.2 कोषालयों द्वारा रोकड़ लेखे के संक्षिप्त सार तथा राज्य अदायगी सूची में दर्शाये गये आंकड़ों, राज्य अदायगी सूची एवं भुगतान अनुसूची में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर, ऐसे मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राशि का वर्गीकरण जो राज्य लेखे से संबंधित नहीं है रोकड़ लेखे एवं राज्य अदायगी सूची के कुल योग में अंतर एवं गलत शीर्ष में वर्गीकृत राशि को, कोषालय उचंत के अंतर्गत रखा जाता है । वर्ष 2007-08 में कोषालय द्वारा भेजे गये लेखे में उक्त कमियों के कारण कोषालय उचंत के अंतर्गत रखे गये प्राप्त पक्ष एवं भुगतान पक्ष के धनात्मक एवं ऋणात्मक मदों तथा राशि का विवरण परिशिष्ट संख्या-4 में दर्शाया गया है ।

2.2 कोषालयों से अप्राप्त प्रमाणकों की सूची

परिशिष्ट संख्या 5 में दिये गये विवरण अनुसार कोषालयों द्वारा अपने मासिक लेखों के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किये गये प्रमाणकों में से वर्ष 2007-08 में कुल राशि रु. 109211843.00 के 646 प्रमाणक अप्राप्त थे जिस कारण उन्हें आपत्ति पुस्तिका उचंत खातों में दर्ज किया गया ।

वर्ष 2007-08 के दौरान उक्त सभी मदों का निराकरण किया गया है एवं माह मार्च, 2008 के अन्त में कोई भी राशि आपत्ति पुस्तिका में बकाया नहीं रही । मासिक लेखे के साथ प्रमाणक प्राप्त न होने के कारण संबंधित माह में लेन देनों को सही शीर्ष में नहीं दर्शाया जा सका ।

2.3 कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब

समस्त कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम म.प्र. ग्वालियर को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं। लेखे की प्रथम सूची जिसमें माह की एक तारीख से दस तारीख तक के लेन देन सम्मिलित रहते हैं, उसी माह की तेरह तारीख से सत्रह तारीख के मध्य महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये। लेखे की द्वितीय सूची जिसमें ग्यारह तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, अगले माह की पाँच से आठ तारीख तक इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये।

समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 636 लेखों में से 143 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये है। कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में सामान्यतः 1 से 17 दिनों का विलम्ब किया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-6 में दर्शाया गया है।

2.4 जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निराकरण

वर्ष 2007-08 के दौरान ऋण एवं जमा शीर्ष के अंतर्गत परिशिष्ट संख्या-7 में दिये विवरण अनुसार कुल राशि रु. 1435198571.00 मुख्य शीर्ष 8009 विभागीय भविष्य निधि के अंतर्गत प्रतिकूल शेष लंबित है।

2.5 कोषालयों से वांछित अनुसूचियों के प्राप्ति में विलंब

2.5.1 भारतीय रिजर्व बैंक जमा पंजी

कुछ मामलों में कोषालय के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर. बी.डी. पत्रकों के अंकों में अंतर पाया गया है। मई 2008 की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपाजिट (राज्य) के अंतर्गत विसंगतियों का विवरण परिशिष्ट संख्या-8 में क्रमशः दर्शाया गया है।

2.5.2 भुगतानकर्ता बैंक से दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान की स्कोल्स

कार्य विधि के अनुसार मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रक (डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर दो प्रतियाँ कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक मिल जाना चाहिये, परन्तु ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब

से प्राप्त होते हैं जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है ।

वर्ष 2007-08 में अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रकों(व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण परिशिष्ट संख्या-9 में दर्शाया गया है ।

2.5.3 बैंक शाखा द्वारा समायोजित चैकों का कोषालय द्वारा विलंब से समायोजन किया जाना

विभिन्न राज्यों/स्थानों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा अदायगी हेतु जारी चैकों का स्थानीय बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा समायोजन किये जाने के माह में ही कोषालय द्वारा भी समायोजन किया जाना चाहिये परंतु कोषालय ग्वालियर द्वारा परिशिष्ट संख्या-10 में दर्शाये गये विवरण अनुसार चैकों का समायोजन यथा समय न करते हुये विलम्ब से किया जाना पाया गया ।

भाग-3

वर्ष 2007-08 के दौरान कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें

3.1 वर्ष 2007-08 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय का विवरण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2007-08 के दौरान इस कार्यालय द्वारा 40 कोषालयों एवं 131 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उपकोषालयों का विवरण परिशिष्ट संख्या-2 में दर्शाया गया है।

3.2 (अ) वर्ष 2007-08 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है -

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2007 को प्रारंभिक शेष	368	1322	23	46
वर्ष के दौरान वृद्धि	176	884	—	—
योग	544	2206	23	46
वर्ष के दौरान निराकरण	189	904	06	11
दि.31.3.08 को अंतशेष	355	1302	17	35

(ब) निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
90-91	—	—	1	1
93-94	—	—	—	—
94-95	—	—	—	—
95-96	2	14	1	4
96-97	—	—	1	3
97-98	7	36	—	—
98-99	—	—	—	—

99-2000	2	2	—	—
2000-01	5	11	2	4
2001-02	3	4	1	4
2002-03	11	11	3	4
2003-04	1	1	3	9
2004-05	19	19	2	3
2005-06	54	91	3	3
2006-07	76	251	—	—
2007-08	175	862	—	—
कुल योग	355	1302	17	35

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष 2007-08 में 189 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 904 कंडिकाओं तथा 23 व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 46 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 355 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1302 कंडिकायें एवं 17 व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 35 कंडिकायें लंबित हैं।

3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

3.3.1 पांचवे वेतन आयोग के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन के अतिरिक्त सारांशीकृत मूल्यों की राशि में अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9/8/2002/नियम चार दिनांक 25.10.02 के द्वारा शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन सारांशिकरण नियम 1996 के विषय में स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पेंशन कम्प्यूटेशन की व्यवस्था में यह सिद्धांत निहित है कि पेंशन कम्प्यूटेशन मूल्य, आगामी वर्षों में पेंशन से होने वाली कटौतियों की राशि की एक निर्धारित दर पर डिस्काउंट करते हुए प्रगणित की गई राशि के बराबर होगी अतः यदि कम्प्यूटेशन के कारण पेंशन की रकम में कटौती विलम्ब से प्रारंभ होती है तो पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य में भी तदनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर शासन को अनावश्यक रूप से वित्तीय हानि उठानी पड़ती है तथा पेंशन कम्प्यूटेशन अंतर्गत किया गया संव्यवहार दोनों पक्षों के लिये समरूप नहीं रहता।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन के कम्प्युटेशन के मूल्य की गणना उसी वर्ष में आयु के आधार पर की जाये जिस वर्ष में पेंशन की कटौती प्रारंभ हो तथा यह व्यवस्था मूल पेंशन एवं पुनरीक्षित पेंशन दोनों के मामलों में समान रूप से लागू की जाये ।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन कम्प्युटेशन) नियम 1996 के अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरण जिनमें नियम 8 की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान हो गया उसकी पेंशनों से वसूली तत्काल संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा / जिला कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जावे । इस संबंध में दिनांक 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रकरण जिन्हें दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान के संदर्भ में पुनरीक्षित किया गया हो तथा उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्युटेशन मूल्य का भुगतान किया गया हो, को विशेष रूप से देखा जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में विभिन्न कोषालयों के निरीक्षण में पाया गया कि दि. 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया है तथा पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्युटेशन मूल्य का भुगतान किया गया है । किन्तु पुनरीक्षित पेंशन में से सारांशीकृत राशि की गणना विभाग के उक्त आदेश 25.10.02 के पैरा 4 के अनुसार पेंशन की कटौती प्रारंभ होने के वर्ष की आयु के आधार पर नहीं की गई है । जिस कारण परिशिष्ट संख्या-11 में वर्णित कोषालयों द्वारा 193 प्रकरणों में राशि रु. 15.38 लाख का अधिक भुगतान किया गया है । कोषालयों द्वारा इन प्रकरणों की समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

3.3.2 कोषालय के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये जा रहे पेंशन भुगतान प्रकरणों की कोषालय द्वारा 2 प्रतिशत निर्धारित जांच न किया जाना

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र. कोष/प्रचालन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 दिनांक 10.8.2000 के अनुसार कोषालय अधिकारी अपने जिले के कुल पेंशनरों की संख्या के दो प्रतिशत के बराबर प्रकरणों की जांच प्रत्येक माह करेंगे । उक्त जांच निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगी –

- (i) जांच हेतु उक्त आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र में पंजी तैयार की जानी चाहिये ।
- (ii) यदि किसी बैंक शाखा में एक प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में बैंक द्वारा प्रदत्त एवं कोषालय द्वारा संगणित राशि में अंतर हो तो उस बैंक शाखा के सभी प्रकरणों की जांच करें ।

(iii) दिनांक 31.10.2000 तक सभी कोषालय अधिकारी अपनी पी.पी.ओ. पंजियों को बैंक स्कूल के अनुसार अद्यतन करायें, यदि स्कूल एवं पी.पी.ओ. पंजी में भिन्नता पाई जाती है तो त्रुटि के लिये संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

पुनः संचालनालय के ज्ञापन क्र. सं.को.ले./पे.प्र.को./9/2001/4407 दिनांक 15.1.2001 एवं सं.को.ले./पे.प्र.को./9/2001/3244 दिनांक 5.5.2001, क्र. न.को.प्र./06/271 दि 25.6.06 तथा क्र. सं.पें.क./पेंशन/क.क./चार/3311/2006 दिनांक 04.11.06 के अनुसार बैंकों के पेंशन प्रकरणों की दो प्रतिशत जांच एवं पी.पी.ओ. पंजियों को अद्यतन किये जाने हेतु आदेश जारी किये जाते रहे हैं ।

वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-12 में दर्शाये गये 20 कोषालयों द्वारा उपरोक्त 2 प्रतिशत जांच न कराया जाना पाया गया ।

3.3.3 निर्धारित अवधि के उपरांत परिवार पेंशन का बढ़ी दर से भुगतान किया जाना

संचालक, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/कोष/प्राक्कलन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 दिनांक 10.08.2000 के परिपालन में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा भुगतान किये जा रहे पेंशन प्रकरणों की नियमित जांच कोषालय द्वारा न किये जाने से वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-12 में वर्णित कोषालयों के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों द्वारा परिवार पेंशन के प्रकरणों में बढ़ी दर से भुगतान करना जारी रहा जिससे 74 प्रकरणों में राशि रु. 17.89 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

3.4 सामान्य भविष्य निधि से संबंधित कार्य

3.4.1 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र./को.प्र.लेखा/16-17/2004/52 दिनांक 18.6.04 द्वारा कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे सा.भ.नि. अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर आहरण अधिकारियों से समन्वय कर तुरन्त भुगतान संबंधी आवश्यक कार्यवाही करें ।

पुनः मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि./चार दिनांक 29.6.05 निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम

भुगतान के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं, इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी सा.भ.नि. अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों की वैधता अवधि, जारी किये जाने वाले माह से आगामी छःमाह तक रहती है। यदि उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो वैधता अवधि समाप्त हो जाती है तथा ऐसे प्राधिकार पत्रों के पुनर्वैधीकरण महालेखाकार से कराने हेतु कार्यवाही की जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-13 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 179 प्राधिकार पत्रों पर राशि रु. 27663453.00 का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में भी नहीं किया गया तथा किन्हीं में पुनर्वैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी।

3.5 लेखा से संबंधित क्षेत्र

3.5.1 कोषालय नियम 27 (टी.आर. 27) के अंतर्गत राशियों का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के नियम 27 के अनुसार आवश्यकता की परिस्थितियों में कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के उपबंधों का पालन किये बगैर कोषालय अधिकारी को पेंशन भुगतान को छोड़कर, कोई भी भुगतान करने के लिये अधिकृत कर सकता है। ऐसे प्रकरण में कलेक्टर अपने आदेश की प्रति तथा ऐसी परिस्थितियां दर्शाने वाला प्रपत्र तुरन्त महालेखाकार को भेजेगा तथा कोषालय अधिकारी भुगतान की सूचना तुरन्त महालेखाकार को देगा।

इन नियमों के अधीन विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता सामान्य परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिये। ऐसी शक्तियों का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिये जैसे— बाढ़, भूकम्प तथा ऐसे ही अन्य कारण।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-14 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त नियम का गलत उपयोग कर मुख्य शीर्ष 2245—प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त अन्य मुख्य शीर्षों से कलेक्टर

की आवश्यक स्वीकृति के बिना राशियों का आहरण किया गया । उक्त मुख्य शीर्षों से आहरित राशियों का व्यय कार्यालय व्यय, पी.ओ.एल, यात्रा भत्ता आदि भुगतानों हेतु किया गया । इस प्रकार कोषालयों एवं उपकोषालयों के अंतर्गत कुल 507 मदों में राशि रू. 3.32 करोड़ का अनियमित आहरण किया जाना पाया गया ।

3.5.2 सहायक अनुदान/अंशदान की राशि का गलत प्रपत्र पर आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 426 के अनुसार सहायता अनुदान, अंशदान इत्यादि के देयक जब तक विभागीय विनियमों द्वारा कोई वैकल्पिक प्रपत्र अधिकृत नहीं किया गया हो प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 उपयोग में लाया जाना चाहिये । जब तक किसी प्रकरण में स्वीकृतकर्ता अधिकारी अन्यथा निर्देशित न करे देयक अनुदान ग्रहिता द्वारा तैयार एवं प्रमाणित किया जावेगा तथा जब तक उस पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी या ऐसे अन्य किसी शासकीय अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर न हो जाये कोषालय अधिकारी द्वारा ऐसे देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान राशियों के आहरण हेतु विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर/ प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करने से तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने से बचने के लिये अनुदान देयक निर्धारित प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 में तैयार न करके साधारण पावती प्रपत्र, एम.पी.टी.सी. 76 अथवा एफ.व्ही.सी. प्रपत्र पर तैयार कर कोषालयों में प्रस्तुत किये गये जिन्हें कोषालयों द्वारा बिना जांच एवं आपत्ति किये पारित कर भुगतान किया गया । इस प्रकार परिशिष्ट संख्या-15 में दिये विवरण अनुसार राशि रू. 78989182.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

3.5.3 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु राशियों का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या-16 में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरण अधिकारियों द्वारा उनको वर्ष 2006-07 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आवंटित संपूर्ण राशि/अखर्चित राशि पर माह मार्च, 2007 में एक मुश्त अग्रिम आहरण कर राशि को व्यक्तिगत जमा खाते अथवा बैंक खाते में जमा किया गया ताकि राशि का व्यय/ उपयोग आगामी वर्ष में सुविधानुसार किया जा सके । चूंकि राशि का व्यय वर्ष 2006-07 में किया जाना था परंतु राशि अखर्चित रहने पर व्यक्तिगत जमा/बैंक खाते में जमा करने से अनियमितता की गई है । इस प्रकार कोषालयों द्वारा कुल राशि रु. 1544401059.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

3.5.4 प्रतिबन्धित अवधि के पश्चात बिना वित्त विभाग की अनुमति के राशियों का भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग क्रमांक एल-17-8/ब/7/चार/2007 दि. 24.3.07 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्त में कोषालय में देयक दिनांक 28.3.07 सांय 5 बजे तक ही ग्राह्य किये जावेंगें, तत्पश्चात वित्त विभाग की स्वीकृति उपरांत ही देयक कोषालय द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगें ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शासन द्वारा मार्च 2007 हेतु दिनांक 28.3.07 के पश्चात राशियों के आहरण हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध के बावजूद विभिन्न कोषालयों/ उपकोषालयों द्वारा प्रतिबंधित दिनांक के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत देयकों को स्वीकार कर कुल राशि रु. 49206850.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या-17 में दर्शाया गया है ।

3.5.5 आयकर तथा वन प्रेषण की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण किया जाना

राज्य शासन के कर्मचारियों के वेतन देयकों से स्रोत पर आयकर की कटौती का वर्गीकरण शीर्ष 8658-उचंत लेखा, 112-स्रोत पर आयकर की कटौती के अंतर्गत किया जाना चाहिए । इसी प्रकार वन प्रेषण की प्राप्तियों का वर्गीकरण शीर्ष 8782-नगद प्रेषण तथा समायोजन, 103-वन प्रेषण के अंतर्गत किया जाना चाहिए ।

परंतु परिशिष्ट संख्या-18 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा उक्त आयकर की राशि का वर्गीकरण सीधे मुख्य शीर्ष 0021-आय पर निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर तथा मुख्य शीर्ष 0406-वन राजस्व के अंतर्गत किया गया । इस प्रकार कुल राशि रु. 151901070.00 का गलत वर्गीकरण किया गया

3.5.6 ए.सी.बिलों के विरुद्ध डी.सी.बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना

उन आकस्मिक व्यय को छोड़कर जिनके लिये भुगतान के पूर्व प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हैं, इस समूह के अधीन आने वाले आकस्मिक प्रभारों को कोषालय से प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 35 पर संक्षिप्त देयक प्रस्तुत कर आहरण किया जा सकता है, बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षरार्थ तथा पश्चात विहित विधि के अनुसार महालेखाकार को भेजने हेतु विस्तृत देयक प्रस्तुत किये जायें ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-19 में दर्शाये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरित संक्षिप्त व्यय देयक (ए.सी.बिल) के विरुद्ध विस्तृत व्यय देयक विवरण (डी.सी.बिल) 31 मार्च 2008 तक प्रस्तुत नहीं किये गये ।

3.5.7 शासकीय कार्यालयों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा जमा राशि की तथा कोषालय से किये गये आहरणों का प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा । इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि –

(1) मासिक लेखा प्रेषण के तत्काल पश्चात कोषालय से संबंधित समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व शीर्ष में विगत माह में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की अनुसूची प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रदाय की जावेगी ।

(2) कार्यालय प्रमुख उक्त सूची में दर्शाई समस्त चालानों की राशि की पुष्टि कार्यालयीन अभिलेख से कर सत्यापित सूची कोषालय को माह की 20 तारीख के पूर्व वापिस लौटाई जावेगी । यदि सूची के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तब आहरण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल कोषालय अधिकारी से संपर्क कर त्रुटि का समाधान करावें ।

इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराई जाना अनिवार्य किया गया है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-20 में दर्शाये गये 104 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है ।

3.5.8 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक मे विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी. ए.डी./1377/31.4.008/2002-03/02.2.03 एवं पत्र क्र. सं.बैं.ले.नि.जी.ए.डी.एच. 698/31.4.008/2002-03/17.6.03 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं ।

प्रत्येक माह पासबुक के 'ए' साइड पर बैंक स्तर व 'बी' साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-21 में दर्शाये गये 77 कोषालय तथा उपकोषालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन न किया जाना पाया गया ।

3.6 जमा खातों की अभिरक्षा

3.6.1 महालेखाकार कार्यालय को व्यपगत जमा पत्रक न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार राजस्व जमा में तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राशियों का एक विवरण पत्रक एम.पी.टी.सी. 71 में प्रत्येक 31 मार्च को तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को राशियों के व्यपगत करने हेतु भेजा जाना चाहिए परंतु निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या 22 में दर्शित कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व जमा में कुल राशि रु. 57993844.00 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत रहने पर भी उक्त पत्रक महालेखाकार कार्यालय को नहीं भेजा गया है ।

3.6.2 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशि व्यपगत न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये रु. 25.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष बची पच्चीस रूपये से अनधिक की जमा राशियों, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से भी अधिक समय तक अवशिष्ट समस्त

अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में व्यपगत किया जावेगा । इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-22 में दिये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि रु. 57993844.00 को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया गया ।

3.6.3 राजस्व जमा पंजी में प्रत्येक तिमाही के अंतराल में जांच किये जाने का प्रमाण पत्र अंकित न पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 559 के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 64 में संधारित की गई राजस्व निक्षेप प्राप्ति की पंजी में जिलाध्यक्ष अथवा इस हेतु नामांकित किये गये कोई राजपत्रित अधिकारी (जो कि कोषालय अधिकारी नहीं हो) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक पंजी की जांच पड़ताल कर ली है तथा यह कि समस्त प्रविष्टियां अत्यंत सावधानी से तथा नियमित रूप से की गई है, अभिलिखित किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-23 में दर्शाये गये 37 कोषालयों एवं उपकोषालयों के राजस्व पंजी की जांच करने पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना नहीं पाया गया ।

3.6.4 तीन वर्ष से अधिक समय से निष्प्रभावी व्यक्तिगत जमा खातों की राशि राजस्व जमा में अंतरण न करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे । यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी को व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में

औचित्य बताने में असफल रहता है तो कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व जमा में जमा करेगा ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी 110 व्यक्तिगत जमा खातों में जमा शेष राशि रू. 28298216.15 को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । (परिशिष्ट संख्या-24)

3.6.5 राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो शासन की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित किये जाते हैं, वित्त वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि के सेवा शीर्ष में ऋणनामें कर बन्द किये जाने चाहिये । यदि आवश्यकता पड़ती है तो खातों को पुनः सामान्य रीति से अगले वित्तीय वर्ष में खोला जा सकता है ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिनमें समेकित निधि को विकलित कर राशि जमा कराई गई थी को वर्ष के अन्त में उक्त नियम के प्रावधान अनुसार परिशिष्ट संख्या-25 के विवरण अनुसार कुल 78 खातों में दिनांक 31.3.07 तक राशि रू. 2514391766.00 को ऋण नामें देकर खातों को बन्द नहीं किया गया है ।

3.6.6 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 582 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा । कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय

निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-26 में दर्शाये अनुसार न्यायालयीन अभिलेख अनुसार सूचित राशि तथा कोषालयीन/उपकोषालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर का बिना निराकरण किये लेखा महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया है ।

3.6.7 व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर कार्यालय महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-27 में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित कुल 1914 व्यक्तिगत खातों में से केवल 88 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 1826 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे ।

3.6.8 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक में दर्शाये गये शेष एवं प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 590 के अनुसार प्रत्येक वैयक्तिक खाता लेखा के प्रशासकों से एक वार्षिक प्रमाण पत्र इस आशय कि उनके द्वारा दावा किया गया व शेष नामित लेखा के है महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये । यदि उनके शेष तथा माह मार्च हेतु धन ऋण ज्ञापन में दर्शाये गये के मध्य यदि कोई भिन्नता हो तो स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में परिशिष्ट संख्या-28 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खाताधारकों द्वारा प्रदाय वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्रों अनुसार शेष राशि तथा कोषालय द्वारा महालेखाकार को भेजे गये धन ऋण पत्रक में अंकित राशि में अंतर पाया गया ।

3.6.9 शीर्ष 8443– सिविल जमा, 800–अन्य जमा के अंतर्गत बिना वित्त विभाग की अनुमति के जमा/आहरण स्वीकार किया जाना

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्र. 24/चार/ब-1/1/93, दि. 7.1.93 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा 800 अन्य जमा के अंतर्गत जमा/आहरण किये जाने से पूर्व वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है ।

समीक्षा वर्ष 2007–08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-29 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालय द्वारा शीर्ष 8443– सिविल जमा, 800– अन्य जमा के अंतर्गत राशि रु. 89767053.00 जमा/आहरण, बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के स्वीकार किये गये हैं, जो वित्त विभाग के उक्त आदेशों का उल्लंघन है ।

3.6.10 वित्त विभाग की अनुमति/स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोला जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 535 के नीचे अंकित मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के क्र. एफ.1/2003/नियम/चार दिनांक 07.6.03 के अनुसार सहायक नियम 533, सहपठित नियम 536 के अनुसार कोषालय में शासकीय व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोले जाने के लिये वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति आवश्यक है । शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर पर कोषालय में व्यक्तिगत खाता खोलने के आदेश देने का अधिकार नहीं है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कोषालय द्वारा बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रतलाम को कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की अनुमति अपने स्तर से ही प्रदान की गई है । जिसमें राशि रु. 3527599.00 शेष पाया गया है । इस प्रकार कोषालय में उक्त खाता अनाधिकृत रूप से खोला गया है ।

3.7 चैकों का लेन देन

3.7.1 वैधता अवधि समाप्त हुए चैकों को व्यपगत न किया जाना

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2407/2003/ई/चार दिनांक 29.9.03 एवं ई.डी.ओ./कम्प्यू./04/3354 दिनांक 28.3.05 के अनुसार, सामान्य बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि तथा पेंशन देयकों को छोड़कर कम्प्यूटर से जारी अन्य चैकों की वैधता जारी होने के दिनांक से एक माह अथवा 31 मार्च, जो भी पहले हो तक रहेगी । इसके पश्चात यह चैक व्यपगत हो जायेगा ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-30 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालय बालाघाट द्वारा राशि रु. 1294410.00 की 51 चैकों की निर्धारित वैधता अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी इन्हें व्यपगत नहीं किया गया है ।

3.8 कोषालयों में सुरक्षा

3.8.1 दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये । निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करे ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-31 में दर्शाये गये 42 कोषालयों/ उपकोषालयों द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधी वर्ष 2007-08 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है ।

3.8.2 कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में पहरेदारों की स्थिति निर्धारित करने वाले बीट चार्ट न लगाये जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90 (3) के अनुसार सुदृढ़ कक्ष के पहरे के दौरान संतरियों की स्थिति को दर्शाने वाला बीट चार्ट जिला आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-32 में दर्शाये गये 36 कोषालयों/ उपकोषालयों में उक्त नियम के अनुसार बीट चार्ट प्रदर्शित नहीं किया गया ।

3.8.3 कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में यथा स्थान पर स्थापित होना चाहिये । परंतु वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-33 में दर्शाये गये कुल 51 कोषालयों एवं उपकोषालयों के सुदृढ़ कक्ष में रखे अग्निशमन यंत्र में द्रव रिफिलिंग न होने से कार्यशील स्थिति में नहीं पाया गया ।

3.8.4 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेट्स तीन वर्ष पश्चात वापिस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 47(1) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय अथवा उपकोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये । इसके पश्चात यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय/ उपकोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-34 में दर्शाये गये कुल 87 कोषालयों एवं उपकोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे 5809 मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिया गया है ।

3.8.5 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे विभागीय दोहरी चाबियों के पैकेट्स वर्ष के अंत में परिवर्तित न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 85 के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के पैकेट्स को प्रतिवर्ष माह अप्रैल में परिवर्तित कर पुनः नवीन मुद्रा दृढ़कक्ष में वापिस लेना चाहिये ।

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-35 में दर्शाये गये 81 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के कुल 762 पैकेट्स को जमाकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में परिवर्तित नहीं किया गया है ।

3.8.6 खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 20, 21 एवं 22 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है । कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है । आयुक्त कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक स्था./दो/12/87-98 दि. 24.1.97 द्वारा पुर्नरीक्षित किये जाने पर भण्डार लिपिक से रु. 3000.00 एवं रोकड़िया से रु. 5000.00 प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-36 में दर्शाये गये 28 कोषालय/ उपकोषालयों द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई है ।

3.9 मुद्रांक लेखों का संधारण

3.9.1 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (एच) के अनुसार दिनांक 1.6.01 से कोषालय से देय कमीशन/दलाली (ब्रोकरेज) यदि एक वित्तीय वर्ष में कमीशन की राशि रु.2500.00 से अधिक है तो सम्पूर्ण राशि पर समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार कोषालय अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले ऐसे कमीशन या ब्रोकरेज पर आयकर एवं अधिभार की कटौती स्रोत पर ही की जानी चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा दिनांक 1.6.01 से अनुज्ञप्त मुद्रांक विक्रेताओं को विक्रय किये गये मुद्रांकों पर देय कमीशन/छूट से समय समय पर निर्धारित दर से आयकर एवं अधिभार की राशि रु. 19091276.00 कटौती स्रोत से नहीं की गई है । जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या-37 में दर्शाया गया है ।

3.9.2 मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.डी.टी.ए./ज-16/70-71 /2394, दिनांक 9.4.71 के पैरा (8) के अनुसार कोषालय हेतु 15 माह के तथा उपकोषालय हेतु 3 माह के विक्रय हेतु आवश्यक स्टाम्प ही रखे जाने चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-38 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राशि रु. 290.96 करोड़ निर्धारित सीमा से अधिक/ अनावश्यक भण्डारण रखा गया है ।

3.9.3 मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत रूप से कमीशन प्रदाय करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 435 (अ) के अनुसार मुद्रांकों पर छूट मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम 1942 के नियम 34 या न्यायालय शुल्क अधिनियम

1870 के अधीन मुद्रांकों का विक्रय विनियमित करने वाले नियमों के नियम 12 के अधीन निश्चित वर्गों के विक्रेताओं को अनुज्ञेय है । कोषालय अधिकारी के इस प्रमाण पत्र पर कि छूट वास्तविक रूप से पक्षकारों को जिन्हें वह देय थी, स्वीकृत नियमों के अनुसार पारित की गई है ।

वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान विभिन्न कोषालय/उपकोषालय द्वारा संधारित न्यायिक मुद्रांकों की कमीशन पंजी तथा मुद्रांक विक्रेताओं के लायसेंसों की जांच में पाया गया है कि न्यायकेत्तर मुद्रांकों के विक्रय हेतु भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अधीन प्राप्त लायसेंस धारक मुद्रांक विक्रेताओं को ही, न्यायिक मुद्रांक अनाधिकृत रूप से जारी कर राशि रु. 1454238.00 का कमीशन प्रदाय किया गया है । (परिशिष्ट संख्या-39)

3.9.4 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 171(फ) के अनुसार कोषालय अधिकारी संबंधित आयकर आयुक्त को रु. 250.00 तथा इससे अधिक के वैयक्तिकों को किये गये भुगतानों का एक तिमाही पत्रक भेजेगा । इसमें भुगतान ग्रहिताओं के नाम तथा पते तथा भुगतान की गई राशि बताई जायेगी जो उसके द्वारा शासन की ओर से कमीशन प्रदाय की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-40. में दर्शाये गये 60 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा उक्त नियमानुसार प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक संबंधित आयकर आयुक्त को नहीं भेजा गया ।

3.10 कोषालयों की सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा में कम्प्यूटर प्रणाली/साफ्टवेयर में पाई गई कमियां

3.10.1 मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है । अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण/आई.टी.आडिट के समय पाये जाने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया है कि साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है । वर्ष 2007-08 में निरीक्षण किये सभी कोषालयों /उपकोषालयों अर्थात् 40 कोषालयों एवं 131 उपकोषालयों (परिशिष्ट संख्या-2 अनुसार) के साफ्टवेयर में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई:-

- (i) राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साफ्टवेयर में मु.शी. 2030 के अंतर्गत मुद्रांकों पर दी गई छूट/बट्टे की राशियों को बजट की उपलब्धता न होते हुये भी कम्प्यूटर मुख्य शीर्ष के अंतर्गत डेबिट दर्शाता है । प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जा रहा है जिससे इस बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । अतः सिस्टम में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है ।
- (ii) अस्थाई आहरण अधिकारियों के संबंध में प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में ही भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिये । इस संबंध में कोषालय की एस. एफ.एम.एस. कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम में अस्थाई आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिये दोनों फील्डस (i) किस दिनांक..... (कबसे) तथा (ii) किस दिनांक.....तक सक्रिय नहीं रखे गये है ।
- निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में कोषालय स्तर पर अस्थाई आहरण अधिकारी के लिये केवल एक ही फील्ड 'कब से' क्रियाशील रखा गया है । 'कब तक' का फील्ड सक्रिय न रखे जाने के कारण अस्थाई आहरण अधिकारियों को प्राधिकार अवधि के बाद भी देयक पारित हो सकते है । अतः इनमें दोनों ही फील्डस क्रियाशील रखे जाने की सिस्टम में व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है ।
- (iii) कम्प्यूटर सिस्टम में सिंगल लाक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) के विरुद्ध है ।
- (iv) कम्प्यूटर में वेतन देयक की प्रविष्टि करने के संबंध में ए.जी.बी.टी. एवं ट्रेजरी बी.टी. की मदों को संबंधित कालम में ही स्वीकार करने का चेक नहीं है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय में कोषालय उचंत की राशियों में वृद्धि हो रही है ।
- (v) फ्रन्ट डेस्क काउन्टर पर लगे कम्प्यूटर्स पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्केन किये हुए प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार अधिकृत वाहक की पहचान स्वरूप उसका स्केन किया गया फोटो एवं हस्ताक्षर भी नहीं रखे गये हैं ।
- (vi) मुख्य शीर्षों एवं लघु शीर्षों की सूची में वर्णित मुख्य शीर्ष 0037, 0406 तथा 1601 केन्द्र सरकार की विभिन्न प्राप्तियों से संबंधित शीर्ष हैं, जिनमें राज्य शासन द्वारा

प्राप्तियां नहीं दर्शाई जाना चाहिये अपितु निर्धारित प्रक्रियानुसार उक्त प्राप्तियों की राशियों को 8658—उचंत शीर्ष के माध्यम से मासिक लेखों में महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिये ।

3.10.2 कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन में संरक्षण एवं सुरक्षा का अभाव

वर्ष 2007—08 में विभिन्न कोषालयों के निरीक्षण/आई.टी. ऑडिट के दौरान पाया गया कि कोषालयों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागू तो की गई है परंतु प्रणाली के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय नहीं किये गये हैं । इस संबंध में जिला कोषालय भोपाल, विन्ध्याचल कोषालय (भोपाल) एवं जिला कोषालय सतना की कम्प्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गई :-

- (i) कम्प्यूटर कक्ष तथा इसमें स्थापित कम्प्यूटर वस्तुओं, सर्वर आदि को आग से बचाने के लिए अग्निशामन यंत्र कम्प्यूटर कक्ष में स्थापित होना नहीं पाया गया और न ही धूल जो कि कम्प्यूटर की बोर्ड एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का मुख्य अवरोध है, से बचाने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं ।
- (ii) कम्प्यूटर सिस्टम में विद्युत व्यवस्था बाधित न होने की दृष्टि से यू.पी.एस. एवं बैटरियों को अलग स्विच रूम में स्थापित होना नहीं पाया गया ।
- (iii) कम्प्यूटर प्रणाली के सुचारु संचालक हेतु “एन्टी वायरस पालिसी” कम्प्यूटर में स्थापित कर उसे अद्यतन किया जाना आवश्यक है परंतु भोपाल कोषालय में एन्टी वायरस पालिसी दिनांक 26.6.06 तक अद्यतन है । उसके उपरांत इसे खत्म नहीं किया गया है ।
- (iv) डिजास्टर अथवा डाटा बेस क्रैश होने की स्थिति में डाटा प्राप्त करने के लिये डिजास्टर रिकवरी प्लान का तैयार किया जाना नहीं पाया गया और न ही दैनिक डाटा को रिट्रीव करने संबंधित कोई उपाय किया जाना पाया गया ।
- (v) मूल साफ्टवेयर, नवीनतम संस्करण तथा बैकअप आदि को अग्नि, अन्य क्षतिकारक यंत्रों एवं जोखिमों से बचाने के लिये अग्नि-रक्षित कैबिनेटों में रखने हेतु कोई सुविधा नहीं है और न ही अग्नि पहचान यंत्रों, श्रव्य संकेतो की व्यवस्था कोषालयों में रखी गई है ।
- (vi) कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कक्ष एवं सुरक्षा मैनेजर की स्थापना नहीं की गई है ।

(vii) हार्डवेयर वस्तुओं के सत्यापन हेतु न तो कोई हार्डवेयर तालिका पंजी संधारित होना पाया गया और न ही हार्डवेयर वस्तुओं के संधारण हेतु किसी उत्तरदायी अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।

(viii) हार्डवेयर की खराबी तथा सुधार संबंधी लॉगबुक संधारण होना नहीं पाया गया ।

(ix) बैकअप की उपलब्धता को जांचने के लिये डाटा को नियमित अंतराल पर जांच किये जाने संबंधित भी कोई अभिलेख संधारित होना नहीं पाया गया ।

3.11 अन्य विसंगतियां

3.11.1 पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 23-ए के अनुसार भाग दो के परिशिष्ट 4-ए में उल्लेखित कोषालयीन अभिलेखों की सूची में उनके समक्ष दर्शाई अवधि तक सुरक्षित रखा जावेगा । निर्धारित अवधि उपरांत रिकार्ड कीपर विनष्टीकरण योग्य अभिलेखों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा । तथा अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-41 में दर्शाये गये 74 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अभिलेखों के विनष्टीकरण की कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया ।

3.11.2 यात्रा अग्रिम की राशि का समायोजन न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 271 के अनुसार कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम तभी भुगतान किये जावे जब उन्हें वास्तविक रूप से शासकीय यात्रा पर जाना हो तथा यात्रा पूर्ण होने पर यात्रा अग्रिम राशि का व्यय देयक से यथाशीघ्र समायोजन/ वसूली की जानी चाहिये ।

वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-42 में दर्शाये गये 14 कोषालयों में यात्रा अग्रिम राशि रु. 160965.00 का समायोजन किया जाना नहीं पाया गया ।

3.11.3 माननीय विधायकों से दूरभाष तथा अन्य वसूली न किया जाना

वर्ष 2007-08 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-43 में दर्शाये गये 10 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा माननीय विधायकों से राशि रु. 168290.00 दूरभाष एवं आवास किराया की वसूली वेतन देयक से नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया ।

परिशिष्ट संख्या-1

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों/ उपकोषालयों की सूची

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	उपकोषालय का नाम
1	अनूपपुर	1. पुष्पराजगढ़
2	अशोकनगर	2. चंदेरी 3. मुंगावली
3	भोपाल	4. वैरसिया
4	बालाघाट	5. बैहर 6. वारासिवनी 7. कटंगी 8. लांजी
5	बड़वानी	9. राजपुर 10. पानसमल 11. सेंधवा
6	बैतूल	12. मुलताई 13. भैंसदेही 14. शाहपुर
7	भिण्ड	15. गोहद 16. लहार 17. मेहगांव 18. अटेर
8	छतरपुर	19. नौगांव 20. बिजावर 21. बक्सवाहा 22. लौंडी 23. राजनगर
9	छिन्दवाड़ा	24. सौंसर 25. पांडुरना 26. अमरवाड़ा 27. जुन्नारदेव 28. परासिया
10	दतिया	29. भांडेर 30. सेवढ़ा
11	देवास	31. बागली 32. खातेगांव 33. सोनकच्छ 34. कन्नौद
12	धार	35. बदनावर 36. कुक्षी 37. धरमपुरी 38. मनावर 39. सरदारपुर 40. गंधवानी
13	डिण्डोरी	—
14	बुरहानपुर	—
15	दमोह	41. हटा 42. तेंदूखेड़ा

16	गुना	43. आरोन 44. चाचौड़ा 45. राधौगढ़
17	ग्वालियर	46. डबरा
18	होशंगाबाद	47. इटारसी 48. पचमढी 49. सिवनीमालवा 50. सोहागपुर 51. पिपरिया 52. बाबई
19	हरदा	—
20	इंदौर	53. देपालपुर 54. महु 55. सावेर
21	इंदौर सिटी	56. इंदौर
22	जबलपुर	57. सिहोरा 58. पाटन
23	जबलपुर सिटी	—
24	झाबुआ	59. अलीराजपुर 60. जोबट 61. पेटलावद 62. थांदला
25	कटनी	63. विजयराधवगढ़
26	खण्डवा	64. नयाहरसूद 65. नर्मदानगर
27	खरगोन	66. बड़वाह 67. भीकनगांव 68. कसरावद 69. महेश्वर 70. सनावद 71. सेगांव 72. मण्डलेश्वर
28	मण्डला	73. नैनपुर 74. निवास
29	मुरैना	75. सबलगढ़ 76. अम्बाह 77. जौरा
30	मोतीमहल	—
31	मन्दसौर	78. भानपुरा 79. गरोट 80. मल्हारगढ़ 81. सीतामऊ 82. सुवासरा
32	नरसिंहपुर	83. गाडरवाड़ा 84. करेली 85. गोटेगांव
33	नीमच	86. रामपुरा 87. जावद 88. मनासा

		89. सिंगौली
34	पन्ना	90. अजयगढ़ 91. पवई 92. शाहनगर
35	रायसेन	93. बेगमगंज 94. सिलवानी 95. बरेली 96. गौहरगंज 97. गैरतगंज 98. उदयपुरा
36	राजगढ़	99. ब्यावरा 100. नरसिंहगढ़ 101. सारंगपुर 102. खिलचीपुर 103. जीरापुर
37	रतलाम	104. आलोट 105. जावरा 106. सैलाना 107. बाजना
38	रीवा	108. हनुमना 109. मऊगंज 110. सिरमौर 111. त्योंथर
39	शिवपुरी	112. करेरा 113. पिछोर 114. कोलारस 115. पोहरी
40	सागर	116. खुरई 117. बीना 118. रहली 119. देवरी 120. गढ़ाकोटा 121. बण्डा
41	श्यापुर	122. विजयपुर
42	सतना	123. नागौद 124. मैहर 125. अमरपाटन 126. रामपुर बधेलान
43	सीहोर	127. आष्टा 128. नसरुल्लागंज 129. बुदनी 130. इच्छावर 131. दोराहा
44	सिवनी	132. लखनादौन 133. केवलारी
45	शहडोल	134. ब्योहार
46	शाजापुर	135. आगर 136. शुजालपुर 137. सुसनेर

47	सीधी	138. सिंगरौली (बैढ़न) 139. चुरहट 140. देवसर 141. मझौली 142. चितरंगी 143. कुसमी 144. सिंहावल
48	उमरिया	—
49	टीकमगढ़	145. जतारा 146. निवाड़ी
50	उज्जैन	147. महिदपुर 148. तराना 149. नागदा 150. बड़नगर 151. खाचरौद 152. घटिया
51	वल्लभ भवन	—
52	विदिशा	153. नटेरन 154. सिरोंज 155. शमशाबाद 156. ग्यारसपुर 157. लटेरी 158. कुरवाई 159. गंजवासौदा
53	विन्ध्याचल	—

परिशिष्ट संख्या-2

वर्ष 2007-08 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

स. क्र.	कोषालय का नाम	निरी. एवं व्यय लेखा परीक्षा अवधि	उपकोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि
1	भोपाल	12/06 से 11/07	1. वैरसिया	12/06 से 11/07
2	बालाघाट	5/06 से 11/07	2. बैहर 3. वारासिवनी 4. कटंगी 5. लांजी	8/06 से 11/07 12/06 से 11/07 12/06 से 11/07 12/06 से 11/07
3	बड़वानी	7/06 से 6/07	6. राजपुर 7. पानसेमल 8. सेंधवा	8/06 से 7/07 7/06 से 7/07 7/06 से 7/07
4	बैतूल	9/06 से 7/07	9. मुलताई 10. भैंसदेही 11. शाहपुर	9/06 से 7/07 8/06 से 7/07 9/06 से 7/07
5	छतरपुर	6/06 से 6/07	12. नौगांव 13. बिजावर 14. बक्सवाहा 15. लौंडी 16. राजनगर	6/06 से 6/07 5/06 से 6/07 5/06 से 6/07 5/06 से 6/07 5/06 से 6/07
6	छिन्दवाड़ा	10/06 से 10/07	17. सौंसर 18. पांडुरना 19. अमरवाड़ा 20. जुन्नारदेव 21. परासिया	12/06 से 10/07 6/06 से 7/07 6/06 से 7/07 6/06 से 7/07 6/06 से 7/07
7	देवास	3/06 से 3/07	22. बागली 23. खातेगांव 24. सोनकच्छ 25. कन्नौद	2/06 से 4/07 2/06 से 4/07 2/06 से 4/07 7/05 से 4/07
8	धार	2/07 से 1/08	26. बदनावर 27. कुक्षी 28. धरमपुरी 29. मनावर 30. सरदारपुर 31. गंधवानी	2/07 से 1/08 7/06 से 12/07 8/06 से 12/07 10/06 से 12/07 10/06 से 12/07 10/06 से 12/07
9	डिण्डोरी	1/06 से 9/07	—	
10	दमोह	4/05 से 3/07	32. हटा 33. तेंदूखेड़ा	1/06 से 4/07 1/06 से 4/07
11	गुना	6/05 से 3/07	34. आरोन 35. चाचौड़ा 36. राधौगढ़	10/05 से 4/07 10/05 से 4/07 10/05 से 4/07
12	ग्वालियर	1/07 से 12/07	37. डबरा	3/07 से 12/07
13	होशंगाबाद	6/06 से 2/08	38. इटारसी 39. पचमढी 40. सोहागपुर 41. पिपरिया 42. बाबई	1/07 से 2/08 10/06 से 2/08 11/06 से 1/08 11/06 से 1/08 1/07 से 1/08
14	इंदौर	1/07 से 12/07	43. देपालपुर	1/07 से 12/07

			44. महु 45. साविर	1/07 से 1/08 1/07 से 1/08
15	इंदौर सिटी	2/07 से 1/08	46. इंदौर	2/07 से 2/08
16	जबलपुर	4/06 से 6/07	47. सिहोरा 48. पाटन	5/06 से 7/07 6/06 से 6/07
17	जबलपुर सिटी	4/06 से 6/07	—	
18	झाबुआ	8/06 से 7/07	49. अलीराजपुर 50. जोबट 51. पेटलावद 52. थांदला	7/06 से 6/07 7/06 से 6/07 7/06 से 6/07 7/06 से 6/07
19	खण्डवा	3/07 से 2/08	53. नयाहरसूद 54. नर्मदानगर	1/07 से 2/08 1/07 से 2/08
20	खरगोन	7/06 से 10/07	55. बड़वाह 56. भीकनगांव 57. कसरावद 58. महेश्वर 59. सनावद 60. सेगांव 61. मण्डलेश्वर	11/06 से 11/07 8/06 से 11/07 11/06 से 11/07 10/06 से 10/07 11/06 से 11/07 11/06 से 11/07 10/06 से 11/07
21	मण्डला	1/07 से 12/07	62. नैनपुर 63. निवास	1/07 से 12/07 1/07 से 12/07
22	मोतीमहल	7/06 से 8/07	—	
23	मन्दसौर	6/05 से 5/07	64. भानपुरा 65. गरोठ 66. मल्हारगढ़ 67. सीतामऊ 68. सुवासरा	5/05 से 5/07 5/05 से 5/07 7/05 से 5/07 7/05 से 6/07 7/05 से 5/07
24	नरसिंहपुर	11/05 से 4/07	69. गाडरवाड़ा 70. करेली 71. गोटेगांव	2/06 से 5/07 1/06 से 4/07 11/05 से 4/07
25	रायसेन	4/05 से 4/07	72. बेगमगंज 73. सिलवानी 74. बरेली 75. गौहरगंज 76. गैरतगंज 77. उदयपुरा	9/05 से 3/07 9/05 से 3/07 6/05 से 3/07 5/05 से 3/07 4/05 से 3/07 5/05 से 3/07
26	राजगढ़	6/05 से 5/07	78. ब्यावरा 79. नरसिंहगढ़ 80. सारंगपुर 81. खिलचीपुर 82. जीरापुर	4/05 से 5/07 4/05 से 5/07 4/05 से 5/07 4/05 से 5/07 4/05 से 5/07
27	रतलाम	9/06 से 8/07	83. आलोट 84. जावरा 85. सैलाना 86. बाजना	9/06 से 8/07 2/03 से 8/07 8/05 से 8/07 8/06 से 8/07
28	रीवा	9/06 से 9/07	87. हनुमना 88. मऊगंज 89. सिरमौर 90. त्योंथर	11/06 से 10/07 9/06 से 9/07 9/06 से 9/07 9/06 से 9/07

29	सागर	11/06 से 11/07	91. खुरई 92. बीना 93. रहली 94. देवरी 95. गढ़ाकोटा	6/06 से 11/07 6/06 से 8/07 6/06 से 10/07 6/06 से 10/07 11/06 से 10/07
30	सतना	1/07 से 1/08	96. नागौद 97. मैहर 98. अमरपाटन 99. रामपुर बधेलान	9/06 से 1/08 1/07 से 12/07 9/06 से 10/07 12/06 से 12/07
31	सीहोर	3/05 से 5/07	100. आष्टा 101. नसरुल्लागंज 102. बुदनी 103. इच्छावर 104. दोराहा	2/06 से 3/07 6/05 से 3/07 7/05 से 3/07 8/05 से 3/07 8/05 से 3/07
32	सिवनी	10/06 से 9/07	105. लखनादौन 106. केवलारी	6/06 से 9/07 10/06 से 9/07
33	शाजापुर	6/05 से 3/07	107. आगर 108. शुजालपुर 109. सुसनेर	4/05 से 5/07 4/05 से 5/07 4/05 से 5/07
34	सीधी	11/06 से 10/07	110. सिंगरौली (बैढन) 111. चुरहट 112. देवसर 113. मझौली 114. चितरंगी 115. कुसमी 116. सिंहावल	8/06 से 10/07 12/06 से 9/07 12/06 से 9/07 11/06 से 9/07 8/06 से 9/07 11/06 से 9/07 9/06 से 9/07
35	उमरिया	5/05 से 10/07	—	
36	टीकमगढ़	6/05 से 3/07	117. जतारा 118. निवाड़ी	4/05 से 3/07 4/05 से 3/07
37	उज्जैन	2/07 से 2/08	119. महिदपुर 120. तराना 121. नागदा 122. बड़नगर 123. खाचरौद 124. घटिया	3/07 से 1/08 3/07 से 1/08 5/06 से 8/07 2/07 से 12/07 3/07 से 1/08 9/06 से 1/08
38	वल्लभ भवन	3/07 से 2/08	—	
39	विदिशा	9/06 से 8/07	125. नटेरन 126. सिरोंज 127. शमशाबाद 128. ग्यारसपुर 129. लटेरी 130. कुरवाई 131. गंजवासौदा	6/05 से 8/07 6/05 से 8/07 6/05 से 8/07 6/05 से 8/07 6/05 से 8/07 12/06 से 11/07 12/05 से 8/07
40	विन्ध्याचल	6/06 से 8/07	—	

परिशिष्ट संख्या-3

(पैरा-2.1.1)

वर्ष 2007-08 में कोषालय द्वारा गलत शीर्षों में वर्गीकरण कर लेखा भेजा जाना

कोषालय का नाम	माह	गलत शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया गया	सही शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया जाना था	राशि
ग्वालियर	8/07	0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	8658-उंचंत लेखा 109-रिजर्व बैंक उंचंत (मुख्यालय)	25869.00
ग्वालियर	8/07	0041-वाहन कर	-----	5620.00
ग्वालियर	11/07	0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	-----	25340.00
ग्वालियर	5/07	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ, 01-सिविल	8658- उंचंत लेखा 102- सिविल 036- रक्षा पेंशन	154584.00
भोपाल	4/07	---"---	8658- उंचंत लेखा 134- महालेखाकार जम्मू तथा कश्मीर और अन्य महालेखाकारों के बीच नगद परिनिर्धारण 009-जम्मू कश्मीर	5336.00
रीवा	9/07	---"---	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सेनानी पेंशन) 8793-अंतरराज्यीय उंचंत लेखा	102000.00 185873.00
राजगढ़	12/07	---"---	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सेनानी पेंशन)	48000.00
विदिशा	3/08	---"---	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सेनानी पेंशन)	20000.00

परिशिष्ट संख्या-4

(पैरा-2.1.2)

**वर्ष 2007-08 में कोषालय उचंत शीर्ष में दर्ज राशि तथा उनका निराकरण संबंधी विवरण
(31 मार्च 2008 की स्थिति में)**

प्राप्ति पक्ष

स.क्र.	कोषालय का नाम	माह	दर्ज राशि	निराकृत राशि	लंबित राशि
1	भिण्ड	4 / 07	10276	10276	—
2	भोपाल	6 / 07 1 / 08	38898 (-)9929	38898 —	— (-)9929
3	जबलपुर	6 / 07	2287	2287	—
4	विन्ध्याचल (भोपाल)	6 / 07	1500	1500	—
5	बैतूल	7 / 07 10 / 07	640 56275	640 —	— 56275
6	जबलपुर सिटी	9 / 07	150	150	—
7	खरगौन	10 / 07	2441	2441	—
8	इंदौर सिटी	12 / 07	(-)30925	(-)30925	—
9	श्यापुर	12 / 07	440	440	—

अदायगी पक्ष

1	छतरपुर	4 / 07	(-)1800	(-)1800	—
2	नरसिंहपुर	4 / 07	3587	3587	—
3	रीवा	5 / 07 7 / 07	12800 (-)8904	— (-)8904	12800 —
4	बैतूल	6 / 07	500	500	—
5	छिन्दवाड़ा	6 / 07 11 / 07	(-)20757 107000	— —	(-)20757 107000
6	रायसेन	6 / 07 7 / 07 2 / 08 2 / 08	392880 908123 (-)46109 100	— — (-)46109 100	392880 908123 — —
7	दतिया	7 / 07	(-)2500	(-)2500	—
8	अशोकनगर	8 / 07	67097	67097	—
9	डिण्डोरी	10 / 07	(-)1940	(-)1940	—
10	भोपाल	1 / 08	16525	—	16525
11	जबलपुर सिटी	3 / 08	(-)842	(-)842	—

परिशिष्ट संख्या-5

(पैरा-2.2)

वर्ष 2007-08 में वांछित रहे प्रमाणकों का विवरण

स.क्र.	कोषालय का नाम	दर्ज मद संख्या	राशि	निराकृत मद संख्या	राशि	लंबित मद संख्या	राशि
1	अनूपपुर	15	2348496	15	2348496	—	—
2	अशोकनगर	8	632014	8	632014	—	—
3	बड़वानी	28	1038169	28	1038169	—	—
4	बालाघाट	24	775762	24	775762	—	—
5	बैतूल	11	171280	11	171280	—	—
6	भोपाल	21	2591301	21	2591301	—	—
7	भिण्ड	3	146366	3	146366	—	—
8	बुरहानपुर	3	157736	3	157736	—	—
9	छतरपुर	4	139806	4	139806	—	—
10	छिन्दवाड़ा	30	1989148	30	1989148	—	—
11	दमोह	11	439601	11	439601	—	—
12	दतिया	4	146337	4	146337	—	—
13	देवास	1	2290	1	2290	—	—
14	डिण्डोरी	26	5018940	26	5018940	—	—
15	धार	3	44377	3	44377	—	—
16	गुना	2	337947	2	337947	—	—
17	ग्वालियर	14	1652913	14	1652913	—	—
18	हरदा	8	3195027	8	3195027	—	—
19	होशंगाबाद	9	239412	9	239412	—	—
20	इंदौर सिटी	21	2589835	21	2589835	—	—
21	इंदौर	7	138809	7	138809	—	—
22	जबलपुर	31	6315879	31	6315879	—	—
23	जबलपुर सिटी	1	110254	1	110254	—	—
24	झाबुआ	87	10199032	87	10199032	—	—
25	कटनी	4	456687	4	456687	—	—
26	खरगौन	3	47975	3	47975	—	—
27	खण्डवा	8	127954	8	127954	—	—
28	मण्डला	13	42581636	13	42581636	—	—
29	मोतीमहल	2	146188	2	146188	—	—
30	मुरैना	1	0	1	0	—	—
31	नरसिंहपुर	3	118645	3	118645	—	—
32	पन्ना	3	127630	3	127630	—	—
33	रतलाम	2	227822	2	227822	—	—
34	रायसेन	13	599773	13	599773	—	—
35	रीवा	11	500978	11	500978	—	—
36	राजगढ़	12	783712	12	783712	—	—
37	सागर	30	1174224	30	1174224	—	—

38	सतना	3	40276	3	40276	—	—
39	शहडौल	11	1461957	11	1461957	—	—
40	शाजापुर	11	1638153	11	1638153	—	—
41	शिवपुरी	78	10294619	78	10294619	—	—
42	सीधी	17	2801098	17	2801098		
43	सीहोर	5	104860	5	104860	—	—
44	सिवनी	16	431848	16	431848	—	—
45	श्यापुर	3	125727	3	125727	—	—
46	टीकमगढ़	6	278918	6	278918	—	—
47	उमरिया	7	2742559	7	2742559	—	—
48	उज्जैन	4	825036	4	825036	—	—
49	वल्लभ भवन (भोपाल)	5	789015	5	789015	—	—
50	विन्ध्याचल	2	352322	2	352322	—	—
51	विदिशा	1	11500	1	11500	—	—
	योग	646	109211843	646	109211843	—	—

परिशिष्ट संख्या-6

(पैरा-2.3)

वर्ष 2007-08 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे की जानकारी

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	लेखा माह	लेखा प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब		
				1-5 दिन	6-14 दिन	15-30 दिन
1	अनूपपुर	4 / 07	10.5.07	2	—	—
		6 / 07	9.7.07	1	—	—
		9 / 07	10.10.07	2	—	—
		10 / 07	12.11.07	4	—	—
		11 / 07	12.12.07	4	—	—
		12 / 07	9.1.08	1	—	—
		3 / 08	10.4.08	2	—	—
2	बड़वानी	1 / 08	11.2.08	3	—	—
3	बालाघाट	4 / 07	15.5.07	—	7	—
		5 / 07	11.6.07	3	—	—
		6 / 07	9.7.07	1	—	—
		12 / 07	10.1.08	2	—	—
		1 / 08	11.2.08	3	—	—
		2 / 08	25.3.08	—	—	17
3 / 08	21.4.08	—	13	—		
4	बैतूल	4 / 07	18.5.07	—	8	—
		5 / 07	11.6.07	3	—	—
		6 / 07	11.7.07	3	—	—
		7 / 07	10.8.07	2	—	—
		8 / 07	13.9.07	5	—	—
		11 / 07	12.12.07	4	—	—
		12 / 07	10.1.08	2	—	—
3 / 08	15.4.08	—	7	—		
5	भिण्ड	4 / 07	9.5.07	1	—	—
6	भोपाल	4 / 07	11.5.07	3	—	—
		6 / 07	9.7.07	1	—	—
		1 / 08	11.2.08	3	—	—
7	बुरहानपुर	6 / 07	10.7.07	2	—	—
		8 / 07	10.9.07	2	—	—
8	छतरपुर	4 / 07	16.5.07	—	8	—
		5 / 07	11.6.07	3	—	—
		7 / 07	10.8.07	2	—	—
		8 / 07	13.9.07	5	—	—
		12 / 07	9.1.08	1	—	—
9	छिन्दवाड़ा	4 / 07	15.5.07	—	7	—

		5/07	11.6.07	3	—	—
		6/07	9.7.07	1	—	—
		3/08	10.4.08	2	—	—
10	दमोह	5/07	11.6.07	3	—	—
		3/08	10.4.08	2	—	—
11	दतिया	6/07	9.7.07	1	—	—
12	देवास	6/07	14.7.07	—	6	—
		2/08	10.3.08	2	—	—
13	डिण्डोरी	2/08	10.3.08	2	—	—
		3/08	11.4.08	3	—	—
14	ग्वालियर	4/07	9.5.07	1	—	—
		6/07	9.7.07	1	—	—
15	हरदा	5/07	12.6.07	4	—	—
		7/07	9.8.07	1	—	—
		1/08	9.2.08	1	—	—
		2/08	12.3.08	4	—	—
		3/08	11.4.08	3	—	—
16	होशंगाबाद	4/07	11.5.07	3	—	—
		6/07	9.7.07	1	—	—
		7/07	9.8.07	1	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
		2/08	11.3.08	3	—	—
17	इंदौर	4/07	10.5.07	2	—	—
18	जबलपुर	6/07	10.7.07	2	—	—
		10/07	14.11.07	—	6	—
		11/07	11.12.07	3	—	—
		2/08	10.3.08	2	—	—
		3/08	9.4.08	1	—	—
19	जबलपुर सिटी	4/07	15.5.07	—	7	—
20	झाबुआ	4/07	11.5.07	3	—	—
		6/07	16.7.07	—	8	—
		7/07	10.8.07	2	—	—
		11/07	14.12.07	—	6	—
		12/07	9.1.08	1	—	—
		1/08	11.2.08	3	—	—
21	कटनी	4/07	10.5.07	2	—	—
		7/07	10.8.07	2	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
		10/07	13.11.07	5	—	—
		11/07	10.12.07	2	—	—
22	खरगोन	6/07	14.7.07	—	6	—
		10/07	12.11.07	4	—	—
		1/08	9.2.08	1	—	—
23	मुरैना	4/07	10.5.07	2	—	—
		12/07	17.1.08	—	9	—
		1/08	13.2.08	5	—	—

		2/08	11.3.08	3	—	—
24	मोतीमहल	6/07	9.7.07	1	—	—
25	नरसिंहपुर	4/07	10.5.07	2	—	—
		6/07	9.7.07	1	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
26	रायसेन	4/07	15.5.07	—	7	—
		5/07	11.6.07	3	—	—
		6/07	12.7.07	4	—	—
		7/07	10.8.07	2	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
		3/08	11.4.08	3	—	—
27	राजगढ़	4/07	10.5.07	2	—	—
		5/07	11.6.07	3	—	—
		6/07	9.7.07	1	—	—
		3/08	10.4.08	2	—	—
28	रीवा	5/07	12.6.07	4	—	—
		6/07	9.7.07	1	—	—
29	सागर	4/07	11.5.07	3	—	—
		5/07	11.6.07	3	—	—
		6/07	10.7.07	2	—	—
		11/07	12.12.07	4	—	—
		12/07	10.1.08	2	—	—
30	सतना	4/07	9.5.07	1	—	—
		1/08	11.2.08	3	—	—
31	सीहोर	4/07	11.5.07	3	—	—
		5/07	11.6.07	3	—	—
		6/07	9.7.07	1	—	—
		7/07	9.8.07	1	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
		9/07	10.10.07	2	—	—
32	शहडोल	4/07	9.5.07	1	—	—
		6/07	13.7.07	5	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
		9/07	10.10.07	2	—	—
		1/08	18.2.08	—	10	—
		2/08	10.3.08	2	—	—
		3/08	11.4.08	3	—	—
33	श्यापुर	8/07	10.9.07	2	—	—
34	सीधी	4/07	10.5.07	2	—	—
		7/07	9.8.07	1	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
		11/07	10.12.07	2	—	—
		12/07	10.1.08	2	—	—
		2/08	10.3.08	2	—	—
		3/08	10.4.08	2	—	—
35	टीकमगढ़	9/07	9.10.07	1	—	—

36	उज्जैन	4/07	16.5.07	—	8	—
		5/07	11.6.07	3	—	—
		6/07	11.7.07	3	—	—
		7/07	10.8.07	2	—	—
		8/07	10.9.07	2	—	—
		9/07	11.10.07	3	—	—
		11/07	28.12.07	—	—	20
		12/07	10.1.08	2	—	—
		1/08	12.2.08	4	—	—
		2/08	13.3.08	5	—	—
		3/08	11.4.08	3	—	—
37	उमरिया	4/07	10.5.07	2	—	—
		3/08	12.4.08	4	—	—
38	वल्लभ भवन (भोपाल)	6/07	9.9.07	1	—	—
39	विन्ध्याचल भवन	7/07	10.8.07	2	—	—
		9/07	10.10.07	2	—	—

परिशिष्ट संख्या-7

(पैरा-2.4)

जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निराकरण संबंधी विवरण

(1) 7610-शासकीय सेवकों को ऋण एवं अग्रिम

-----निरंक-----

(2) मुख्य शीर्ष 8009 राज्य भविष्य निधि-01-101-0002-विभागीय भविष्य निधि

क्र.	शीर्ष	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	निराकरण	अंतशेष
1	2015-चुनाव	259854.95	533555.00	—	793409.95
2	2029-भूराजस्व	97267536.46	122457131.00	—	219724667.46
3	2040-विक्रय कर	24455721.09	5498849.00	—	29954570.09
4	2045-वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	825124.30	507789.00	—	1332913.30
5	2047-अन्य राजकोषीय सेवायें	966683.00	166828.00	—	1133511.00
6	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें	37703026.95	6191981.00	—	43895007.95
7	2053-जिला प्रशासन	निरंक	5494986.11	—	5494986.11
8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	13633411.62	65247406.00	—	78880817.62
9	2059-लोक निर्माण	निरंक	9242367.16	—	9242367.16
10	2202-शिक्षा	19018271.95	91800612.00	—	110818883.95
11	2203-तकनीकी शिक्षा	25491033.00	4991395.00	—	30482428.00
12	2204-खेल एवं युवा सेवायें	12259543.00	2883814.00	—	15143357.00
13	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	231229956.35	70211598.00	—	301441554.35
14	2401-बीज	2545282.93	14595937.00	—	17141219.93
15	2402-मुद्रा एवं जल संरक्षण	6186344.85	2463218.00	—	8649562.85
16	2403-पशुपालन	129535469.32	28178097.00	—	157713566.32
17	2405-मत्स्य पालन	19919050.15	2751725.00	—	22670775.15
18	2406-वन एवं वन्य जीवन	180830297.31	147834069.00	—	328664366.31
19	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	17108370.50	3571632.00	—	20680002.50
20	2700/4700- सिंचाई	12428911.00	17577588.00	—	30006499.00
21	3054-सड़क एवं पुल	निरंक	1334105.00	—	1334105.00
		831663888.73	603534682.27	—	1435198571.00

परिशिष्ट संख्या-8

(पैरा-2.5.1)

**मार्च 2008 के अन्त की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (राज्य) के अंतर्गत विसंगतियों की सूची
(मई 2008 तक निराकृत)**

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	आर.बी.आई.राशि	कोषालय राशि	अंतर	
						डेबिट	क्रेडिट
1	अनूपपुर	भा.स्टे.बैं. अनूपपुर	1/08	34437940 के.	34439940 डे.	2000	—
		—“—	2/08	83654645 के.	83644645 डे.	—	10000
		सेन्ट्रल बैं., पुष्पराजगढ़	6/07	21592003 डे.	19821627 के.	1770376	—
		—“—	8/07	15934026 डे.	16120894 के.	—	186868
		—“—	10/07	16502213 डे.	16371956 के.	130257	—
		—“—	11/07	15885702 डे.	15739702 के.	146000	—
		—“—	12/07	14500587 डे.	14515712 के.	—	15125
		—“—	1/08	11327473 डे.	11378405 के.	—	50932
		—“—	2/08	27078992 डे.	28518938 के.	—	1439946
		—“—	3/08	34914913 डे.	36841457 के.	—	1926544
2	बालाघाट	भा.स्टे.बैं. बालाघाट	5/06	129629888 डे.	130212427 के.	—	582539
		—“—	11/07	57126915 डे.	57126890 के.	25	—
		भा.स्टे.बैं. लांजी	11/07	13875008 डे.	13746372 के.	128636	—
		—“—	2/08	19324965 डे.	20051728 के.	—	726763
		भा.स्टे.बैं. कटंगी	12/07	19799827 डे.	19745804 के.	54023	—
भा.स्टे.बैं. बैहर	2/08	53341128 डे.	54260394 के.	—	919266		
3	बैतूल	भा.स्टे.बैं. बैतूल	8/05	46932024 डे.	46931924 के.	100	—
		भा.स्टे.बैं. मुलताई	1/08	6068136 डे.	6018136 के.	50000	—
		—“—	3/08	27120286 डे.	27090015 के.	30271	—
		भा.स्टे.बैं. भैंसदेही	3/08	20525175 डे.	20225175 के.	300000	—
4	भोपाल	भा.स्टे.बैं. हमीदिया रोड	7/05	66951582 के.	67460387 डे.	508805	—
		भा.स्टे.बैं. भोपाल मेन	1/08	2715008548 के.	2715008545 डे.	—	3
		—“—	3/08	1818220505 के.	1818220305 डे.	—	200
		भा.स्टे.बैं. बैरसिया	1/08	599350 डे.	1914350 के.	—	1315000
		—“—	3/08	8914558 डे.	9314558 के.	—	400000
		भा.स्टे.बैं. एम.एल.ए. विश्राम भवन	2/08	51028358 के.	51028360 डे.	2	—
5	छतरपुर	भा.स्टे.बैं. नौगांव	1/08	11955816 डे.	11965816 के.	—	10000
		—“—	2/08	11505550 डे.	11505750 के.	—	200
6	छिन्दवाड़ा	भा.स्टे.बैं. चंदामेटा	11/07	11226876 के.	11230776 डे.	3900	—
		—“—	1/08	12420464 के.	12421074 डे.	610	—
7	दमोह	भा.स्टे.बैं. दमोह	2/08	231465545 डे.	231365545 के.	100000	—
8	दतिया	भा.स्टे.बैं. दतिया	10/07	101440746 डे.	101776894 के.	—	336148
		स्टे.बैं.इंदौर, भाण्डेर	1/08	2229466 डे.	2229486 के.	—	20
9	धार	भा.स्टे.बैं. धार	11/07	9691700 के.	9712860 डे.	21160	—
		—“—	2/08	3129881 के.	3132249 डे.	2368	—
10	डिण्डोरी	भा.स्टे.बैं. डिण्डोरी	12/07	65509255 डे.	65462971 के.	46284	—
11	होशंगाबाद	भा.स्टे.बैं. सोहागपुर	3/08	22773634 डे.	22773754 के.	—	120
12	इंदौर	भा.स्टे.बैं. इंदौर	11/07	2055898972 के.	2055943694 डे.	44722	—

	सिटी	भा.स्टे.बैं. ओल्ड पलासिया	2/08	40010533 के.	40230022 डे.	219489	—
		स्टे.बैं.इंदौर, सफी नगर	3/08	1528734891 डे.	1528734889 के.	—	2
13	जबलपुर सिटी	भा.स्टे.बैं. टी.आर. चौक	11/07	1376805823 डे.	1376807048 के.	—	1225
		—“—	2/08	2210022418 डे.	2224274436 के.	—	14252018
		भा.स्टे.बैं. जबलपुर	9/06	327452798 डे.	327455798 के.	—	3000
14	जबलपुर	भा.स्टे.बैं. पाटन	12/07	8207920 डे.	8166545 के.	41375	—
15	खरगौन	भा.स्टे.बैं. सैगांव	7/06	6434427 डे.	6434437 के.	—	10
		—“—	2/08	9262492 डे.	9262572 के.	—	80
		स्टे.बैं.इंदौर, बड़वाहा	2/08	80812061 डे.	80812055 के.	6	—
		स्टे.बैं.इंदौर, खरगोन	3/08	898119307 डे.	898119303 के.	4	—
16	मोतीमहल	भा.स्टे.बैं.ए.सी.ग्वालियर	1/08	26628409 के.	26632119 डे.	3710	—
17	मण्डला	भा.स्टे.बैं. मण्डला	2/08	343441454 डे.	368053580 के.	—	24612126
18	मंदसौर	भा.स्टे.बैं. मंदसौर	11/07	108161626 डे.	107965456 के.	196170	—
		—“—	12/07	78237133 डे.	78198908 के.	38225	—
		—“—	2/08	154784300 डे.	154784275 के.	25	—
		सेन्ट्रल बैं., सुवासरा	6/07	989064 डे.	1030590 के.	—	41526
		—“—	8/07	1326396 डे.	1326846 के.	—	450
		—“—	12/07	1181615 डे.	1181495 के.	120	—
		—“—	2/08	2455761 डे.	2455711 के.	50	—
		—“—	3/08	1493597 डे.	1498597 के.	—	5000
19	मुरैना	भा.स्टे.बैं. मुरैना	3/08	414531778 डे.	414431778 के.	100000	—
20	नरसिंहपुर	भा.स्टे.बैं. गोटेगांव	12/07	9675297 डे.	9775297 के.	—	100000
21	पन्ना	भा.स्टे.बैं. अजयगढ़	11/07	7668801 डे.	7668781 के.	20	—
		—“—	1/08	8641996 डे.	8652356 के.	—	10360
22	रीवा	भा.स्टे.बैं. रीवा	8/07	404248461 डे.	404240977 के.	7484	—
		—“—	2/08	362427262 डे.	362427462 के.	—	200
		भा.स्टे.बैं. हनुमना	10/07	5534913 डे.	5527049 के.	7864	—
		—“—	1/08	6952900 डे.	6952925 के.	—	25
		—“—	2/08	10682681 डे.	10582681 के.	100000	—
		पी.एन.बी. सिरमौर	3/08	15384183 डे.	15383183 के.	1000	—
23	रायसेन	भा.स्टे.बैं. रायसेन	3/06	279986739 डे.	279998769 के.	—	12030
		—“—	12/07	130002939 डे.	154960390 के.	—	24957451
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	9/07	4267596 डे.	4253654 के.	13942	—
		भा.स्टे.बैं. बेगमगंज	1/08	4802297 डे.	4804297 के.	—	2000
		—“—	2/08	6123341 डे.	6103341 के.	20000	—
		—“—	3/08	22292253 डे.	22292294 के.	—	41
		सेन्ट्रल बैं., गैरतगंज	8/05	4064431 डे.	4307839 के.	—	243408
		—“—	7/07	3561312 डे.	3667307 के.	—	105995
		—“—	8/07	4567188 डे.	4567196 के.	—	10
		—“—	10/07	4171242 डे.	4123553 के.	47689	—
		—“—	1/08	7902139 डे.	7749587 के.	152552	—
		—“—	2/08	5916951 डे.	5916251 के.	700	—
		—“—	3/08	31563846 डे.	31356096 के.	207750	—
		सेन्ट्रल बैं., उदयपुरा	11/06	4071981 डे.	4074881 के.	—	2900
		—“—	11/07	8049195 डे.	7978175 के.	71020	—
		—“—	3/08	13361695 डे.	9737427 के.	3624268	—
		सेन्ट्रल बैं., गौहरगंज	8/07	5308829 के.	5313325 डे.	4496	—
		—“—	10/07	3459165 डे.	759135 के.	2700030	—

		---"---	11/07	16319845 के.	7255090 डे.	—	9064755
		---"---	3/08	95942246 के.	95300623 डे.	—	641623
24	सागर	भा.स्टे.बैं. सी.एल.सागर	8/07	28236521 डे.	28236531 के.	—	10
		---"---	10/07	201341544 डे.	201528320 के.	—	186776
		---"---	12/07	259451311 डे.	259411311 के.	40000	—
		---"---	1/08	285317437 डे.	285277905 के.	39532	—
		भा.स्टे.बैं. देवरी	8/07	9376889 डे.	9366889 के.	10000	—
		---"---	3/08	10046982 डे.	10079551 के.	—	32569
		भा.स्टे.बैं. गढ़ाकोटा	8/07	4814738 डे.	4816680 के.	—	1942
		---"---	2/08	2940688 डे.	2998540 के.	—	57852
		भा.स्टे.बैं. बीना	2/08	1930 के.	2070 के.	—	4000
		भा.स्टे.बैं. खुरई	3/08	13575158 डे.	13571156 के.	4002	—
		सेन्ट्रल बैं., बण्डा	6/07	9035469 डे.	9544396 के.	—	508927
		---"---	7/07	8060732 डे.	9417688 के.	—	1356956
		---"---	8/07	10058361 डे.	1008131 के.	—	22870
		---"---	9/07	9993084 डे.	9993144 के.	—	60
		---"---	10/07	9416387 डे.	9836041 के.	—	219654
		---"---	11/07	10971112 डे.	11192016 के.	—	220904
		---"---	12/07	29364114 डे.	29363663 के.	451	—
		---"---	1/08	56369019 डे.	58505277 के.	—	2136258
		---"---	2/08	10563056 डे.	10553056 के.	10000	—
		---"---	3/08	10638858 डे.	11372570 के.	—	733712
25	सतना	भा.स्टे.बैं. मैहर	1/07	19519489 के.	19498900 डे.	—	20589
		---"---	2/08	57019512 के.	57021292 डे.	1780	—
		भा.स्टे.बैं. सतना	5/07	188605160 डे.	188613160 के.	—	8000
		---"---	1/08	133639553 डे.	179874427 के.	—	46234874
		---"---	3/08	532985806 डे.	532767678 के.	218128	—
		भा.स्टे.बैं. सतना सिटी	12/07	56210877 के.	56211377 डे.	500	—
		इला.बैं., अमरपाटन	2/08	22895629 डे.	22895729 के.	—	100
		इला.बैं., रामपुरबधेलान	2/08	12571154 डे.	12058740 के.	512414	—
26	सीहोर	भा.स्टे.बैं. नसरुल्लागंज	1/08	17255731 डे.	17254631 के.	1100	—
27	शहडोल	भा.स्टे.बैं. शहडोल	10/07	39378616 डे.	39378618 के.	—	2
28	सीधी	भा.स्टे.बैं. सीधी	7/07	105312695 डे.	105042595 के.	270100	—
		---"---	1/08	132509931 डे.	122619888 के.	9890043	—
		---"---	3/08	553845412 डे.	553905412 के.	—	60000
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी.चुरहट	12/07	23417441 डे.	23017441 के.	400000	—
		भा.स्टे.बैं. बैढन	3/08	1136425540 के.	1136595761 डे.	170221	—
		यूनियन बैं. कुसमी	3/08	6974422 डे.	6974412 के.	10	—
29	टीकमगढ़	भा.स्टे.बैं. टीकमगढ़	2/07	154469243 डे.	154470351 के.	—	1108
		---"---	7/07	147451651 डे.	147451661 के.	—	10
30	उज्जैन	भा.स्टे.बैं. नागदा	5/06	114221298 के.	114228811 डे.	7513	—
		भा.स्टे.बैं. बुधवारा	2/08	36723883 डे.	24615900 के.	12107983	—
		भा.स्टे.बैं. नई सड़क	3/08	853015 के.	853952 डे.	937	—
		भा.स्टे.बैं. एम.एन.उज्जैन	3/08	485372386 डे.	484946969 के.	425417	—
		स्टे.बैं.इंदौर, महिदपुर	1/08	239436 के.	364736 डे.	125300	—
31	विदिशा	भा.स्टे.बैं. शाहपुर	2/08	14492711 डे.	14492771 के.	—	60
32	विन्ध्याचल भवन	भा.स्टे.बैं. विन्ध्याचल भवन	6/06	1419901376 डे.	1419831376 के.	70000	—
		---"---	2/07	1963205935 डे.	1963200875 के.	5060	—

		---"---	10/07	3372696559 डे.	3372696567 के.	—	8
33	भिण्ड	स्टे.बैं.इंदौर, लहार	12/05	21081121 डे.	21089421 के.	—	8300
34	गुना	स्टे.बैं.इंदौर, राधौगढ़	12/07	1034464 डे.	4234464 के.	—	320000
35	नीमच	स्टे.बैं.इंदौर, नीमच	3/08	314589706 डे.	314590006 के.	—	300
36	श्योपुर	स्टे.बैं.इंदौर, श्योपुरकलां	11/07	59392710 डे.	59347710 के.	45000	—
37	शिवपुरी	स्टे.बैं.इंदौर, शिवपुरी	1/05	143801767 डे.	143589767 के.	212000	—
		स्टे.बैं.इंदौर, पिछोर	3/08	40548789 डे.	40539989 के.	9800	—
38	रतलाम	सेन्ट्रल बैं., बाजना	5/07	8026468 डे.	8285433 के.	—	258965
		---"---	10/07	7346340 डे.	7346640 के.	—	300
		---"---	12/07	6071217 डे.	6092810 के.	—	21593
		---"---	2/08	5260708 डे.	5492412 के.	—	231704
		---"---	3/08	12664017 डे.	12622299 के.	41718	—
39	सिवनी	सेन्ट्रल बैं., केवलारी	5/07	5555306 डे.	8858247 के.	—	3302941
		---"---	6/07	3833438 डे.	6319374 के.	—	2485936
		---"---	7/07	16794308 डे.	16858912 के.	—	64604
		---"---	9/07	13120760 डे.	13119760 के.	1000	—
		---"---	11/07	12767282 डे.	12767582 के.	—	300
		---"---	12/07	12223441 डे.	13138369 के.	—	914928
		---"---	1/08	11018770 डे.	12339458 के.	—	1320688
		सेन्ट्रल बैं., लखनादौन	6/07	18409778 डे.	22411403 के.	—	4001625
		---"---	7/07	23788558 डे.	25742960 के.	—	1956402
		---"---	9/07	21034068 डे.	21242068 के.	—	208000
		---"---	11/07	25001478 डे.	32603364 के.	—	7601886
		---"---	12/07	24247623 डे.	25079623 के.	—	832000
		---"---	1/08	31455254 डे.	32195320 के.	—	740066
		---"---	2/08	39661951 डे.	39015865 के.	646086	—

परिशिष्ट संख्या-9

(पैरा-2.5.2)

वर्ष 2007-08 के अन्त तक अप्राप्त व्ही.डी.एम.एस. से संबंधित कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	संबंधित बैंक शाखा	माह
1	बालाघाट	एस.बी.आई. बालाघाट	4 / 07
2	बैतूल	एस.बी.आई. मुलताई	03 / 07, 7 / 07, 10 / 07
3	छतरपुर	एस.बी.आई. छतरपुर	8 / 07
4	छतरपुर	एस.बी.आई. लौंडी	3 / 08
5	छिन्दवाड़ा	एस.बी.आई. छिन्दवाड़ा	12 / 07, 3 / 08
6	छिन्दवाड़ा	एस.बी.आई. चन्दामेटा	3 / 08
7	दतिया	एस.बी.आई. सेवड़ा	03 / 06
8	जबलपुर	एस.बी.आई. टी.सी. जबलपुर	12 / 07
9	मुरैना	एस.बी.आई. सबलगढ़	7 / 07, 9 / 07, 10 / 07, 12 / 07, 3 / 08
10	पन्ना	एस.बी.आई. पवई	4 / 07
11	रायसेन	एस.बी.आई. सिलवानी	7 / 06
12	रायसेन	एस.बी.आई. रायसेन	3 / 07
13	रायसेन	सेन्ट्रल बैंक, उदयपुरा	3 / 07, 5 / 07, 6 / 07, 7 / 07, 8 / 07, 10 / 07, 1 / 08, 2 / 08,
14	रायसेन	सेन्ट्रल बैंक, गौहरगंज	5 / 07, 6 / 07, 7 / 07
15	रायसेन	सेन्ट्रल बैंक, गैरतगंज	6 / 07
16	सतना	एस.बी.आई. सतना	11 / 06
17	सतना	एस.बी.आई. नागौद	4 / 07, 10 / 07
18	टीकमगढ़	एस.बी.आई. निवाड़ी	5 / 07, 12 / 07, 1 / 08, 3 / 08
19	टीकमगढ़	एस.बी.आई. टीकमगढ़	6 / 07
20	टीकमगढ़	एस.बी.आई. जतारा	9 / 07, 1 / 08, 3 / 08
21	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	एस.बी.आई. विन्ध्याचल भवन	1 / 06
22	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	एस.बी.आई. एम.एल.ए. विश्राम गृह	10 / 07, 11 / 07
23	इंदौर सिटी	एस.बी. इंदौर पी.वाई. रोड इंदौर	9 / 04 (जिला कोषालय से)
24	भिण्ड	एस.बी. इंदौर, भिण्ड	3 / 08
25	गुना	एस.बी. इंदौर आरोन	4 / 07
26	हरदा	एस.बी. इंदौर हरदा	3 / 08
27	जबलपुर	एस.बी. इंदौर गोरखपुर	7 / 07
28	मंदसौर	एस.बी. इंदौर गरोट	2 / 07

29	मंदसौर	सेन्ट्रल बैंक, सुवासरा	10 / 07
30	राजगढ़	एस.बी. इंदौर ब्यावरा	4 / 07
31	राजगढ़	एस.बी. इंदौर खिलचीपुर	5 / 07
32	राजगढ़	एस.बी. इंदौर राजगढ़	3 / 08
33	रीवा	एस.बी. इंदौर रीवा	6 / 07
34	रीवा	इलाहाबाद बैंक, मऊगंज	6 / 07
35	रीवा	पंजाब नेशनल बैंक, सिरमौर	6 / 07, 9 / 07
36	श्योपुर	एस.बी. इंदौर विजयपुर	3 / 06, 2 / 07
37	शिवपुरी	एस.बी. इंदौर कोलारस	4 / 07
38	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	एस.बी. इंदौर एम.पी. नगर	8 / 05
39	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	एस.बी. इंदौर साइवर ट्राइ.	1 / 08
40	अनूपपुर	सेन्ट्रल बैंक, पुष्पराजगढ़	7 / 07
41	सिवनी	सेन्ट्रल बैंक, लखनादौन	3 / 08
42	सिवनी	सेन्ट्रल बैंक, केवलारी	3 / 08
43	सीधी	यूनियन बैंक, देवसर	3 / 08

परिशिष्ट-10
(पैरा-2.5.3)

**भारतीय स्टेट बैंक शाखा द्वारा समायोजित परंतु कोषालय ग्वालियर द्वारा विलंब से समायोजित किये गये
चैकों की सूची**

स. क.	माह	चैक क्रमांक एवं दिनांक	राशि	क्रेडिट पर्ची एवं दिनांक	अदायगी बैंक	एस.बी.आई. द्वारा समायोजन किये जाने का दिनांक	कोषालय द्वारा समायोजन का माह
1	11/05	476973 / 27.10.05	10120	ए.सी.1 / 299 29.11.05	एस.बी.आई. रेलभवन नई दिल्ली	17.12.06	8/07
2	11/05	477105 / 28.11.05	10120	ए.सी.1 / 332 29.12.05	---"---	21.12.06	8/07
3	12/05	002472 / 6.12.05	2120	ए.सी.1 / 347 29.12.05	यू.टी.आई. दिल्ली	30.12.06	2/08
4	12/05	030654 / 20.12.05	1200	ए.सी.2 / 165 17.1.06	एस.बी.आई. मेनब्रांच नई दिल्ली	24.1.06	8/07
5	12/05	769840 / 28.11.05	10120	ए.सी.1 / 344	---"---	28.1.06	2/08
6	1/06	407662 / 17.1.06	12860	ए.सी.2 / 180 17.2.06	इलाहाबाद बैंक संसद मार्ग नई दिल्ली	17.2.06	10/07
7	1/06	077724 / 12.12.06	4889	ए.सी.1 / 346 2.8.06	सी.बी.आई. नई दिल्ली	10.3.06	8/07
8	1/06	361184 / 19.1.06	25340	ए.सी.1 / 399 6.2.06	एस.बी.आई. सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स दिल्ली	1.3.06	11/07
9	6/06	635086 / 26.5.06	5470	ए.सी.1 / 61 19.6.06	एस.बी.आई. शीलांग	20.6.06	8/07
10	7/06	249028 / 27.7.06	5620	ए.सी.1 / 150 10.8.06	एस.बी.आई. डलहौसी रोड कलकत्ता	17.8.06	8/07
11	7/06	309467 / 24.7.07	3000	ए.सी.1 / 138 24.7.06	एस.बी.आई. आर.के.पुरम नई दिल्ली	21.8.06	8/07
12	7/06	061288 / 01.8.06	1000	ए.सी.2 / 107 21.8.06	बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली	24.8.06	8/07
13	8/06	013357 / 22.8.06	4120	ए.सी.1 / 182 15.9.06	सी.बी.आई. दिल्ली	12.10.06	10/07

परिशिष्ट संख्या-11

(पैरा-3.3.1)

पेंशन के त्रुटिपूर्ण सारांशीकरण के परिणामस्वरूप सारांशीकृत राशि का अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि
1	खरगोन	11	76475
2	होशंगाबाद	07	52834
3	बालाघाट	10	123998
4	सतना	16	132943
5	मंदसौर	08	106529
6	देवास	03	30512
7	सागर	03	53150
8	मण्डला	03	24135
9	धार	07	42276
10	बैतूल	15	91613
11	सिवनी	09	13550
12	रतलाम	19	109177
13	उमरिया	05	35014
14	सीधी	09	60739
15	उज्जैन	12	120938
16	छतरपुर	10	80586
17	रीवा	11	112330
18	डिण्डोरी	06	28517
19	ग्वालियर	18	141347
20	भोपाल	09	90737
21	शाजापुर	02	11061
	योग	193	1538461

परिशिष्ट संख्या-12

(पैरा-3.3.2 एवं 3.3.3)

बैंक द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरणों में अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि
1	खरगोन	6	155727
2	होशंगाबाद	4	24207
3	दमोह	4	54298
4	मंदसौर	7	248589
5	सागर	1	3483
6	मण्डला	2	64682
7	धार	8	473192
8	बैतूल	7	89100
9	सिवनी	4	130845
10	झाबुआ	4	53721
11	रतलाम	3	39987
12	उमरिया	2	79996
13	उज्जैन	2	68849
14	जबलपुर	5	60196
15	नरसिंहपुर	2	15221
16	रीवा	4	70688
17	डिण्डोरी	1	3163
18	ग्वालियर	3	59554
19	शाजापुर	4	89936
20	विदिशा	1	3606
	योग	74	1789040

परिशिष्ट संख्या-13

(पैरा-3.4.1)

सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों का वैधता अवधि में भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	खरगोन	4	730620
2	होशंगाबाद	9	819858
3	दमोह	11	1403404
4	सतना	5	293857
5	देवास	3	15495
6	सागर	9	1089611
7	मण्डला	8	1060082
8	धार	5	1829456
9	बैतूल	10	1779251
10	उमरिया	7	2003076
11	सीधी	10	3409685
12	टीकमगढ़	6	473488
13	जबलपुर	12	1447801
14	सिहोरा (जबलपुर)	7	1226084
15	नरसिंहपुर	8	1223321
16	जबलपुर सिटी	14	2308405
17	इंदौर सिटी	5	1844704
18	रीवा	14	1072629
19	वल्लभ भवन (भोपाल)	3	77592
20	ग्वालियर	6	356940
21	भोपाल	9	563834
22	सीहोर	2	413461
23	शाजापुर	6	993605
24	विदिशा	6	1227194
	योग	179	27663453

परिशिष्ट संख्या-14

(पैरा-3.5.1)

कोषालय नियम 27 के अंतर्गत अनियमित आहरण

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	सैगांव (खरगौन)	13	535772
2	पेटलावद (झाबुआ)	42	1474250
3	थांदला (झाबुआ)	46	1804625
4	सारंगपुर (राजगढ़)	10	59125
5	रतलाम	65	5661077
6	जावरा (रतलाम)	42	7061494
7	सैलाना (रतलाम)	62	2090617
8	आलोट (रतलाम)	26	1389610
9	नागदा (उज्जैन)	37	1783900
10	निवाड़ी (टीकमगढ़)	05	19300
11	जबलपुर	17	1599600
12	पानसेमल (बड़वानी)	34	6181122
13	सेंधवा (बड़वानी)	37	2483250
14	इच्छावर (सीहोर)	71	1057258
	योग	507	33201000

परिशिष्ट संख्या-15

(पैरा-3.5.2)

सहायक अनुदान/अंशदान की राशि का गलत प्रपत्र पर आहरण

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	आहरित प्रपत्र	राशि
1	वारासिवनी (बालाघाट)	एम.पी.टी.सी. 76	546500
2	सतना	---"---	348586
3	रामपुर बधेलान (सतना)	---"---	170800
4	सिवनी	---"---	55000
5	लखनादौर (सिवनी)	---"---	669500
6	गुना	---"---	12700000
7	आरोन (गुना)	---"---	56525
8	चाचौड़ा (गुना)	---"---	732191
9	राजगढ़	---"---	56879050
10	सीहोर	एफ.व्ही.सी.	6831030
	योग		78989182

परिशिष्ट संख्या-16

(पैरा-3.5.3)

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु अनियमित अग्रिम आहरण

स.क्र.	कोषा./ उपकोषा. का नाम	पी.डी. खाते में जमा राशि	बैंक या अन्य खाते में जमा राशि	कुल राशि
1	खरगोन	62695144	—	62695144
2	इटारसी (होशंगाबाद)	1171700	—	1171700
3	बालाघाट	12776400	—	12776400
4	सागर	74404770	—	74404770
5	मण्डला	80216618	—	80216618
6	छिन्दवाड़ा	248299178	—	248299178
7	बैतूल	—	23094000	23094000
8	सिवनी	—	10001000	10001000
9	गुना	—	22000	22000
10	चाचौड़ा (गुना)	300000	—	300000
11	रतलाम	9231000	—	9231000
12	बाजना (रतलाम)	200000	—	200000
13	सीधी	—	77273902	77273902
14	टीकमगढ़	—	107965000	107965000
15	महू (इंदौर)	3924000	—	3924000
16	हनुमना (रीवा)	25000	—	25000
17	रीवा	4256000	—	4256000
18	वल्लभ भवन (भोपाल)	545343502	193000000	738343502
19	भोपाल	—	71053320	71053320
20	विदिशा	—	19148525	19148525
	योग	1042843312	501557747	1544401059

परिशिष्ट संख्या-17

(पैरा-3.5.4)

प्रतिबंधित अवधि में बिना वित्त विभाग की अनुमति के राशियों का भुगतान किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	राशि
1	मैहर (सतना)	6777418
2	निवास (मण्डला)	71515
3	केवलारी (सिवनी)	8000
4	सैलाना (रतलाम)	150000
5	उमरिया	28509083
6	सीधी	3696927
7	छतरपुर	779929
8	रीवा	2833941
9	ग्वालियर	2267949
10	विदिशा	4112088
	योग	49206850

परिशिष्ट संख्या-18

(पैरा-3.5.5)

आयकर तथा वन प्रेषण की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	गलत शीर्ष जिसमें वर्गीकृत किया गया	सही शीर्ष जिसमें वर्गीकृत किया जाना था	राशि
1	वल्लभ भवन (भोपाल)	0406	8782-103	151466010
2	डिण्डोरी	0021 .406	8658-112 8782-103	2011 433049
	योग			151901070

परिशिष्ट संख्या-19

(पैरा-3.5.6)

ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मुख्य शीर्ष एवं राशि		
1	बैतूल	2225	1579725	-
	योग			

परिशिष्ट संख्या-20

(पैरा-3.5.7)

विभाग द्वारा चालान से जमा राशि तथा कोषालय से आहरित राशि का प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण न किया जाना

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	चालान से जमा राशि का पुष्टि न किया जाना	कोषालय से आहरित राशि का प्रमाणीकरण न किया जाना
1	महेश्वर (खरगोन)	नहीं की गई	नहीं की गई
2	बड़वाहा (खरगोन)	---"---	---"---
3	भीकनगांव (खरगोन)	---"---	---"---
4	मण्डलेश्वर (खरगोन)	---"---	---"---
5	कसरावद (खरगोन)	---"---	---"---
6	सैगांव (खरगोन)	---"---	---"---
7	सनावद (खरगोन)	---"---	---"---
8	पिपरिया (होशंगाबाद)	---"---	---"---
9	बाबई (होशंगाबाद)	---"---	---"---
10	सोहागपुर (होशंगाबाद)	---"---	---"---
11	इटारसी (होशंगाबाद)	---"---	---"---
12	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	---"---	---"---
13	होशंगाबाद	---"---	---"---
14	बालाघाट	---"---	---"---
15	वारासिवनी (बालाघाट)	---"---	---"---
16	बैहर (बालाघाट)	---"---	---"---
17	लांजी (बालाघाट)	---"---	---"---
18	कटंगी (बालाघाट)	---"---	---"---
19	दमोह	---"---	---"---
20	हटा (दमोह)	---"---	---"---
21	सतना	---"---	---"---
22	रामपुर बधेलान (सतना)	---"---	---"---
23	मैहर (सतना)	---"---	---"---
24	नागौद (सतना)	---"---	---"---
25	अमरपाटन (सतना)	---"---	---"---
26	बागली (देवास)	---"---	---"---
27	कन्नौद (देवास)	---"---	---"---
28	खातेगांव (देवास)	---"---	---"---
29	सोनकच्छ (देवास)	---"---	---"---
30	सागर	---"---	---"---
31	खुरई (सागर)	---"---	---"---
32	देवरी (सागर)	---"---	---"---
33	रहली (सागर)	---"---	---"---
34	गढ़ाकोटा (सागर)	---"---	---"---

35	नैनपुर (मण्डला)	---"---	---"---
36	निवास (मण्डला)	---"---	---"---
37	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	---"---	---"---
38	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	---"---	---"---
39	परासिया (छिन्दवाड़ा)	---"---	---"---
40	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	---"---	---"---
41	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	---"---	---"---
42	बैतूल	---"---	---"---
43	मुलताई (बैतूल)	---"---	---"---
44	जीरापुर (राजगढ़)	---"---	---"---
45	सारंगपुर (राजगढ़)	---"---	---"---
46	ब्यावरा (राजगढ़)	---"---	---"---
47	सैलाना (रतलाम)	---"---	---"---
48	उमरिया	---"---	---"---
49	कुसमी (सीधी)	---"---	---"---
50	मझौली (सीधी)	---"---	---"---
51	चुरहट (सीधी)	---"---	---"---
52	देवसर (सीधी)	---"---	---"---
53	चितरंगी (सीधी)	---"---	---"---
54	बैढन (सीधी)	---"---	---"---
55	सिंहावल (सीधी)	---"---	---"---
56	उज्जैन	---"---	---"---
57	घटिया (उज्जैन)	---"---	---"---
58	महिदपुर (उज्जैन)	---"---	---"---
59	नागदा (उज्जैन)	---"---	---"---
60	बड़नगर (उज्जैन)	---"---	---"---
61	टीकमगढ़	---"---	---"---
62	निवाड़ी (टीकमगढ़)	---"---	---"---
63	जतारा (टीकमगढ़)	---"---	---"---
64	जबलपुर	---"---	---"---
65	सिहोरा (जबलपुर)	---"---	---"---
66	पाटन (जबलपुर)	---"---	---"---
67	नरसिंहपुर	---"---	---"---
68	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	---"---	---"---
69	करेली (नरसिंहपुर)	---"---	---"---
70	छतरपुर	---"---	---"---
71	नौगांव (छतरपुर)	---"---	---"---
72	राजनगर (छतरपुर)	---"---	---"---
73	बक्सवाहा (छतरपुर)	---"---	---"---
74	विजावर (छतरपुर)	---"---	---"---
75	सीतामऊ (मंदसौर)	---"---	---"---
76	सुवासरा (मंदसौर)	---"---	---"---
77	भानपुरा (मंदसौर)	---"---	---"---
78	गरोठ (मंदसौर)	---"---	---"---
79	कुक्षी (धार)	---"---	---"---

80	धरमपुरी (धार)	---"---	---"---
81	देपालपुर (इंदौर)	---"---	---"---
82	महू (इंदौर)	---"---	---"---
83	सांवेर (इंदौर)	---"---	---"---
84	इंदौर (इंदौर सिटी)	---"---	---"---
85	सिरमौर (रीवा)	---"---	---"---
86	हनुमना (रीवा)	---"---	---"---
87	त्यौंथर (रीवा)	---"---	---"---
88	मऊगंज (रीवा)	---"---	---"---
89	रीवा	---"---	---"---
90	राजपुर (बड़वानी)	---"---	---"---
91	पानसेमल (बड़वानी)	---"---	---"---
92	सेंधवा (बड़वानी)	---"---	---"---
93	वल्लभ भवन (भोपाल)	---"---	---"---
94	भोपाल	---"---	---"---
95	बैरसिया (भोपाल)	---"---	---"---
96	डिण्डोरी	---"---	---"---
97	नसरुल्लागंज (सीहोर)	---"---	---"---
98	इच्छावर (सीहोर)	---"---	---"---
99	दोराहा (सीहोर)	---"---	---"---
100	शुजालपुर (शाजापुर)	---"---	---"---
101	नटेरन (विदिशा)	---"---	---"---
102	शमशाबाद (विदिशा)	---"---	---"---
103	ग्यारसपुर (विदिशा)	---"---	---"---
104	सिराँज (विदिशा)	---"---	---"---

परिशिष्ट संख्या-21

(पैरा-3.5.8)

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन एवं समाधान अनुदेशों का पालन न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि
1	महेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07
2	बड़वाहा (खरगोन)	11/06 से 11/07
3	मण्डलेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07
4	कसरावद (खरगोन)	11/06 से 11/07
5	सैगांव (खरगोन)	11/06 से 11/07
6	सनावद (खरगोन)	11/06 से 11/07
7	खरगोन	7/06 से 10/07
8	बाबई (होशंगाबाद)	1/07 से 1/08
9	होशंगाबाद	6/06 से 2/08
10	बैहर (बालाघाट)	8/06 से 11/07
11	लांजी (बालाघाट)	12/06 से 11/07
12	दमोह	4/05 से 3/07
13	हटा (दमोह)	1/06 से 4/07
14	तेंदूखेड़ा (दमोह)	1/06 से 4/07
15	सतना	1/07 से 1/08
16	मैहर (सतना)	1/07 से 12/07
17	मंदसौर	6/05 से 5/07
18	सीतामऊ (मंदसौर)	7/05 से 5/07
19	सुवासरा (मंदसौर)	7/05 से 5/07
20	भानपुरा (मंदसौर)	5/05 से 5/07
21	गरोट (मंदसौर)	5/05 से 5/07
22	देवास	3/06 से 3/07
23	बागली (देवास)	2/06 से 4/07
24	कन्नौद (देवास)	7/05 से 4/07
25	खातेगांव (देवास)	2/06 से 4/07
26	सोनकच्छ (देवास)	2/06 से 4/07
27	देवरी (सागर)	6/06 से 10/07
28	छिन्दवाड़ा	10/06 से 10/07
29	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	12/06 से 10/07
30	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07
31	परासिया (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07
32	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07
33	शाहपुर (बैतूल)	3/06 से 7/07
34	भैंसदेही (बैतूल)	8/06 से 7/07
35	लखनादौन (सिवनी)	6/06 से 9/07
36	गुना	6/05 से 3/07
37	पेटलावद (झाबुआ)	7/06 से 6/07

38	राजगढ़	6/05 से 5/07
39	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	4/05 से 5/07
40	जावरा (रतलाम)	2/03 से 8/07
41	बाजना (रतलाम)	8/06 से 8/07
42	सैलाना (रतलाम)	8/05 से 8/07
43	आलोट (रतलाम)	9/06 से 8/07
44	उमरिया	5/05 से 10/07
45	कुसमी (सीधी)	11/06 से 9/07
46	मझौली (सीधी)	11/06 से 9/07
47	चितरंगी (सीधी)	8/06 से 9/07
48	घटिया (उज्जैन)	9/06 से 1/08
49	महिदपुर (उज्जैन)	3/07 से 1/08
50	नागदा (उज्जैन)	5/06 से 8/07
51	बड़नगर (उज्जैन)	2/07 से 12/07
52	टीकमगढ़	6/05 से 3/07
53	निवाड़ी (टीकमगढ़)	4/05 से 3/07
54	सिहोरा (जबलपुर)	5/06 से 7/07
55	नरसिंहपुर	11/05 से 4/07
56	छतरपुर	6/06 से 6/07
57	राजनगर (छतरपुर)	5/06 से 6/07
58	कुक्षी (धार)	7/06 से 12/07
59	सरदारपुर (धार)	10/06 से 12/07
60	गंधवानी (धार)	10/06 से 12/07
61	महू (इंदौर)	1/07 से 1/08
62	सांवेर (इंदौर)	1/07 से 1/08
63	इंदौर (इंदौर सिटी)	2/07 से 2/08
64	शुजालपुर (शाजापुर)	4/05 से 5/07
65	आगर (शाजापुर)	4/05 से 5/07
66	शाजापुर	6/05 से 3/07
67	राजपुर (बड़वानी)	8/06 से 7/07
68	पानसेमल (बड़वानी)	7/06 से 7/07
69	सेंधवा (बड़वानी)	8/06 से 7/07
70	हनुमना (रीवा)	11/06 से 10/07
71	मऊगंज (रीवा)	9/06 से 9/07
72	रीवा	9/06 से 9/07
73	विदिशा	9/06 से 8/07
74	लटेरी (विदिशा)	6/05 से 8/07
75	शमशाबाद (विदिशा)	6/05 से 8/07
76	सिरोंज (विदिशा)	6/05 से 8/07
77	ग्यारसपुर (विदिशा)	12/06 से 11/07

परिशिष्ट संख्या-22

(पैरा-3.6.1 एवं 3.6.2)

अदावाकृत राजस्व जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत न करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	सनावद (खरगोन)	24	77633
2	देवास	91	457122
3	बीना (सागर)	01	400
4	छिन्दवाड़ा	50	536580
5	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	—	1243208
6	बैतूल	51	401791
7	अलीराजपुर (झाबुआ)	110	428897
8	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	09	221174
9	सीधी	11	1519231
10	टीकमगढ़	07	259495
11	पाटन (जबलपुर)	30	393502
12	छतरपुर	11	77586
13	नौगांव (छतरपुर)	11	168178
14	बिजावर (छतरपुर)	02	1248
15	महू (इंदौर)	12	614266
16	रीवा	03	46986770
17	हनुमना (रीवा)	02	258353
18	सिरमौर (रीवा)	13	2712582
19	सेंधवा (बड़वानी)	10	36000
20	नसरुल्लागंज (सीहोर)	—	1599828
	योग	282	57993844

परिशिष्ट संख्या-23

(पैरा-3.6.3)

राजस्व जमा पंजी में प्रमाण पत्र अंकित न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	लेखा निरीक्षण अवधि
1	बड़वाहा (खरगोन)	11/06 से 11/07
2	कसरावद (खरगोन)	11/06 से 11/07
3	सोहागपुर (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08
4	बालाघाट	5/06 से 11/07
5	कटंगी (बालाघाट)	12/06 से 11/07
6	दमोह	4/05 से 3/07
7	हटा (दमोह)	1/06 से 4/07
8	सतना	1/07 से 1/08
9	मैहर (सतना)	1/07 से 12/07
10	सागर	11/06 से 11/07
11	देवरी (सागर)	6/06 से 10/07
12	मण्डला	1/07 से 12/07
13	छिन्दवाड़ा	10/06 से 10/07
14	सौसर (छिन्दवाड़ा)	12/06 से 10/07
15	बैतूल	9/06 से 7/07
16	मुलताई (बैतूल)	9/06 से 7/07
17	पेटलावद (झाबुआ)	7/06 से 6/07
18	खिलचीपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07
19	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	4/05 से 5/07
20	उमरिया	5/05 से 10/07
21	सीधी	12/06 से 10/07
22	टीकमगढ़	6/05 से 3/07
23	निवाड़ी (टीकमगढ़)	4/05 से 3/07
24	जबलपुर	4/06 से 6/07
25	पाटन (जबलपुर)	6/06 से 6/07
26	जबलपुर सिटी	4/06 से 6/07
27	नरसिंहपुर	11/05 से 4/07
28	महू (इंदौर)	1/07 से 1/08
29	इंदौर सिटी	2/07 से 2/08
30	शुजालपुर (शाजापुर)	4/05 से 5/07
31	आगर (शाजापुर)	4/05 से 5/07
32	बड़वानी	7/06 से 6/07
33	वल्लभ भवन (भोपाल)	3/07 से 2/08
34	भोपाल	9/07 से 11/07
35	लटेरी (विदिशा)	6/05 से 8/07
36	गंजवासौदा (विदिशा)	12/05 से 8/07
37	सिरोंज (विदिशा)	6/05 से 8/07

परिशिष्ट संख्या-24

(पैरा-3.6.4)

व्यक्तिगत जमा की राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	खरगोन	1	50051
2	होशंगाबाद	14	2687430
3	वारासिवनी (बालाघाट)	2	21234
4	सतना	1	149124
5	सागर	1	1165397
6	मण्डला	7	1022612
7	नैनपुर (मण्डला)	1	257072
8	सिवनी	3	572051
9	गुना	4	197015
10	राधौगढ़ (गुना)	2	119696
11	झाबुआ	5	319077
12	जीरापुर (राजगढ़)	1	7225
13	सीधी	3	36600
14	उज्जैन	13	1362404.46
15	तराना (उज्जैन)	3	95441.41
16	महिदपुर (उज्जैन)	3	2183315
17	नरसिंहपुर	12	963399
18	जबलपुर सिटी	2	116860
19	छतरपुर	5	207538
20	राजनगर (छतरपुर)	1	6516
21	नौगांव (छतरपुर)	1	3589
22	शाजापुर	3	962457
23	सुसनेर (शाजापुर)	3	1067476.28
24	आगर (शाजापुर)	2	110714
25	शुजालपुर (शाजापुर)	1	39903
26	रीवा	1	2422183
27	हनुमना (रीवा)	2	42935
28	सिरमौर (रीवा)	4	9492
29	डिण्डोरी	3	207631
30	भोपाल	2	7037
31	सीहोर	4	11884741
	योग	110	28298216.15

परिशिष्ट संख्या-25

(पैरा-3.6.5)

समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	खरगोन	03	139814780
2	होशंगाबाद	03	2832953
3	बालाघाट	05	128528531
4	सतना	02	33139092
5	मंदसौर	02	2394101
6	देवास	01	600000
7	मण्डला	04	374016710
8	निवास (मण्डला)	01	106055
9	छिन्दवाड़ा	14	345814442
10	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	01	13580541
11	रतलाम	02	42358581
12	उमरिया	01	118435
13	टीकमगढ़	11	37406892
14	रीवा	06	8617695
15	वल्लभ भवन (भोपाल)	06	1380601477
16	डिण्डोरी	15	1661312
17	बुधनी (सीहोर)	01	2800169
	योग	78	2514391766

परिशिष्ट संख्या-26

(पैरा-3.6.6)

सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	कोषालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	अंतर की राशि
1	महेश्वर (खरगोन)	88785	92781	3996
2	बड़वाहा (खरगोन)	612587	325463	287124
3	सनावद (खरगोन)	542324	529737	12587
4	वारासिवनी (बालाघाट)	468925	570575	101650
5	सतना	8535502	8115012	420490
6	मंदसौर	3963050	4184044	220994
7	देवास	6824481	6495001	329480
8	बीना (सागर)	233485	1034483	800998
9	छिन्दवाड़ा	3179077	3655795	476718
10	लखनादौन (सिवनी)	13450	8926	4524
11	महिदपुर (उज्जैन)	228537	249735	21198
12	छतरपुर	64955	2949185	2884230
13	बिजावर (छतरपुर)	21702	33229	11527
14	नौगांव (छतरपुर)	188662	190662	2000
15	सीवा	425277	11985	413292
16	संघवा (बड़वानी)	1479442	1678435	198993
17	ग्वालियर	18330641	18481157	150516
18	भोपाल	33784982	37037536	3302554
19	आष्टा (सीहोर)	201641	1056549	854908
20	विदिशा	811500	864530	53030
21	गंजबासौदा (विदिशा)	620213	811500	191287

परिशिष्ट संख्या-27

(पैरा-3.6.7)

व्यक्तिगत निक्षेप के खाताधारकों से अप्राप्त अवशेष प्रमाण पत्रों के विवरण

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	कुल खाताधारकों की संख्या	प्राप्त प्रमाण पत्रों की संख्या	अप्राप्त प्रमाण पत्रों की संख्या
1	अनूपपुर	03	निरंक	03
2	अशोकनगर	20	निरंक	20
3	बड़वानी	19	निरंक	19
4	बालाघाट	24	निरंक	24
5	बैतूल	29	निरंक	29
6	भिण्ड	80	निरंक	80
7	भोपाल	18	निरंक	18
8	बुरहानपुर	15	निरंक	15
9	छतरपुर	25	निरंक	25
10	छिन्दवाड़ा	36	निरंक	36
11	दमोह	10	निरंक	10
12	दतिया	16	निरंक	16
13	देवास	08	निरंक	08
14	धार	21	निरंक	21
15	डिण्डोरी	13	निरंक	13
16	गुना	16	निरंक	16
17	ग्वालियर	135	निरंक	135
18	हरदा	14	निरंक	14
19	होशंगाबाद	30	16	14
20	इंदौर सिटी	134	12	122
21	इंदौर	15	निरंक	15
22	जबलपुर सिटी	44	निरंक	44
23	जबलपुर	23	निरंक	23
24	झाबुआ	34	निरंक	34
25	खरगोन	25	निरंक	25
26	कटनी	47	निरंक	47
27	खण्डवा	50	09	41
28	मण्डला	14	निरंक	14
29	मोतीमहल (ग्वालियर)	99	निरंक	99
30	मंदसौर	12	06	06
31	मुरैना	347	निरंक	347
32	नरसिंहपुर	29	02	27
33	नीमच	23	निरंक	23
34	पन्ना	09	निरंक	09
35	राजगढ़	10	निरंक	10
36	रतलाम	44	निरंक	44
37	रीवा	46	निरंक	46

38	रायसेन	21	निरंक	21
39	सागर	48	08	40
40	शाजापुर	20	18	02
41	सतना	31	03	28
42	सीहोर	41	निरंक	41
43	शहडोल	16	निरंक	16
44	सिवनी	25	05	20
45	शुपुल	12	निरंक	12
46	शिवपुरी	27	09	18
47	सीधी	10	निरंक	10
48	टीकमगढ़	17	निरंक	17
49	उज्जैन	38	निरंक	38
50	वल्लभ भवन (भोपाल)	24	निरंक	24
51	विदिशा	14	निरंक	14
52	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	33	निरंक	33
	योग	1914	88	1826

परिशिष्ट संख्या-28

(पैरा-3.6.8)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक अनुसार शेष एवं प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर

स. क्र.	कोषा./उपकोषा.	धन ऋण पत्रक अनुसार शेष	प्रशासक के प्रमाण पत्र अनुसार शेष	अंतर
1	बड़वाहा (खरगोन)	679307	588476	87381
2	भीकनगांव (खरगोन)	199684	158884	40800
3	सनावद (खरगोन)	1751619	1741915	9704
4	वारासिवनी (बालाघाट)	1244298	1370383	126085
5	लांजी (बालाघाट)	301925	300500	1425
6	सतना	5185869	5532200	346331
7	सागर	128294182	130227808	(-)1933626
8	छिन्दवाड़ा	86550861	86913755	362894
9	अमरवाड़ा(छिन्दवाड़ा)	5756379	5310624	445755
10	धार	88341486	6787700	81553786
11	गुना	221776	181746	40030
12	सीधी	1156613	3419776	2263163
13	इंदौर सिटी	396649898	59231893	337418005
14	बड़वानी	10731140	10103329	627811
15	डिण्डोरी	4166430	2971177	1195253
16	ग्वालियर	137952762	133535017	4417745
17	भोपाल	1332684080	1317332204	15351876
18	सीहोर	1341098	11441098	10100000
19	शाजापुर	5431975	6081547	673859

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.6.9)

वित्त विभाग की अनुमति/स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800- अन्य जमा के अंतर्गत राशि स्वीकार करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	मद संख्या	राशि
1	छिन्दवाड़ा	02	89655558
2	छतरपुर	02	111495
	योग	04	89767053

परिशिष्ट संख्या-30

(पैरा-3.7.1)

कोषालय बालाघाट द्वारा वैधता अवधि समाप्त हुये चैकों को व्यपगत न किया जाना

स.क्र.	चैक क्रमांक	चैक जारी होने की तिथि	राशि
1	229333	27.12.07	11522
2	077999	14.12.07	2185
3	232139	10.1.08	2780
4	648456	10.10.07	480
5	077932	14.12.07	11785
6	642461	17.8.07	397
7	226548	14.12.07	155700
8	232114	10.1.08	5938
9	461007	15.3.08	202012
10	646294	1.10.07	26887
11	646295	1.10.07	15304
12	646297	1.10.07	50885
13	646143	1.10.07	13445
14	646144	1.10.07	18000
15	646145	1.10.07	9459
16	646246	1.10.07	31279
17	646298	1.10.07	21030
18	646299	1.10.07	10042
19	646306	1.10.07	180151
20	646214	1.10.07	8894
21	669235	24.10.07	1000
22	228593	17.12.07	728
23	230148	21.1.08	8000
24	230149	21.1.08	3000
25	230151	22.1.08	2000
26	230152	22.1.08	2995
27	230200	25.1.08	2947
28	230201	25.1.08	2929
29	230288	30.1.08	677
30	234708	7.2.08	2935
31	234709	7.2.08	27964
32	234734	8.2.08	2651
33	074494	29.12.07	14400
34	074496	29.12.07	39080
35	261584	31.3.08	34000
36	261017	13.3.08	9716

37	672113	1.11.07	8884
38	672114	1.11.07	12397
39	077627	10.12.07	22778
40	077921	14.12.07	7599
41	642829	23.8.07	4294
42	645120	14.9.07	5329
43	073651	27.11.07	11000
44	077935	14.12.07	420
45	647742	11.10.07	182346
46	072490	6.11.07	22475
47	228508	14.12.07	15000
48	672012	20.11.07	2682
49	672013	20.11.07	11039
50	229089	20.12.07	18920
51	229090	20.12.07	36050
	योग		1294410

परिशिष्ट संख्या-31

(पैरा-3.8.1)

दृढ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	वर्ष जिसमें प्रमाण पत्र अपेक्षित रहे
1	होशंगाबाद	6/06 से 2/08	2007-08
2	नागौद (सतना)	9/06 से 1/08	---"---
3	अमरपाटन (सतना)	9/06 से 10/07	---"---
4	देवरी (सागर)	6/06 से 10/07	---"---
5	बीना (सागर)	6/06 से 8/07	---"---
6	गढाकोटा (सागर)	11/06 से 10/07	---"---
7	निवास (मण्डला)	1/07 से 12/07	---"---
8	परासिया (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	---"---
9	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	---"---
10	शाहपुर (बैतूल)	9/06 से 7/07	---"---
11	अलीराजपुर (झाबुआ)	7/06 से 6/07	---"---
12	पेटलावद (झाबुआ)	7/06 से 6/07	---"---
13	जोबट (झाबुआ)	7/06 से 6/07	---"---
14	खिलचीपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	---"---
15	जीरापुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	---"---
16	रतलाम	9/06 से 8/07	---"---
17	जावरा (रतलाम)	2/03 से 8/07	---"---
18	सैलाना (रतलाम)	8/05 से 8/07	---"---
19	आलोट (रतलाम)	9/06 से 8/07	---"---
20	उमरिया	5/05 से 10/07	---"---
21	कुसमी (सीधी)	11/06 से 9/07	---"---
22	मझौली (सीधी)	11/06 से 9/07	---"---
23	चुरहट (सीधी)	12/06 से 9/07	---"---
24	सिंहावल (सीधी)	9/06 से 10/07	---"---
25	घटिया (उज्जैन)	9/06 से 1/08	---"---
26	खाचरौद (उज्जैन)	3/07 से 1/08	---"---
27	महिदपुर (उज्जैन)	3/07 से 1/08	---"---
28	बड़नगर (उज्जैन)	2/07 से 12/07	---"---
29	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	11/05 से 4/07	---"---
30	गंधवानी (धार)	10/06 से 12/07	---"---
31	सिरमौर (रीवा)	9/06 से 9/07	---"---
32	हनुमना (रीवा)	11/06 से 10/07	---"---
33	त्योथर (रीवा)	9/06 से 9/07	---"---
34	मऊगंज (रीवा)	9/06 से 9/07	---"---
35	रीवा	9/06 से 9/07	---"---
36	राजपुर (बड़वानी)	8/06 से 7/07	---"---
37	पानसेमल (बड़वानी)	7/06 से 7/07	---"---
38	संघवा (बड़वानी)	8/06 से 7/07	---"---

39	डिण्डोरी	1/06 से 9/07	---"---
40	नसरुल्लागंज (सीहोर)	6/05 से 3/07	---"---
41	इच्छावर (सीहोर)	8/05 से 3/07	---"---
42	लटेरी (विदिशा)	6/05 से 8/07	---"---

परिशिष्ट संख्या-32

(पैरा-3.8.2)

कोषालय / उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में बीट चार्ट न लगाया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि
1	महेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07
2	सैगांव (खरगोन)	11/06 से 11/07
3	सनावद (खरगोन)	11/06 से 11/07
4	वारासिवनी (बालाघाट)	12/06 से 11/07
5	सतना	1/07 से 1/08
6	मल्हारगढ़ (मंदसौर)	7/05 से 5/07
7	कन्नौद (देवास)	7/05 से 4/07
8	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07
9	शाहपुर (बैतूल)	9/06 से 7/07
10	लखनादौन (सिवनी)	6/06 से 9/07
11	राधौगढ़ (गुना)	10/05 से 4/07
12	झाबुआ	8/06 से 7/07
13	पेटलावद (झाबुआ)	7/06 से 6/07
14	जोबट (झाबुआ)	7/06 से 6/07
15	खिलचीपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07
16	जीरापुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07
17	मझौली (सीधी)	11/06 से 9/07
18	चुरहट (सीधी)	12/06 से 9/07
19	देवसर (सीधी)	12/06 से 9/07
20	सिंहावल (सीधी)	9/06 से 10/07
21	घटिया (उज्जैन)	9/06 से 1/08
22	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	11/05 से 4/07
23	गंधवानी (धार)	10/06 से 12/07
24	महू (इंदौर)	1/07 से 1/08
25	इंदौर (इंदौर सिटी)	2/07 से 2/08
26	सिरमौर (रीवा)	9/06 से 9/07
27	मऊगंज (रीवा)	9/06 से 9/07
28	त्योथर (रीवा)	9/06 से 9/07
29	रीवा	9/06 से 9/07
30	पानसेमल (बड़वानी)	7/06 से 7/07
31	संधवा (बड़वानी)	8/06 से 7/07
32	डिण्डोरी	1/06 से 9/07
33	बैरसिया (भोपाल)	12/06 से 11/07
34	नसरुल्लागंज (सीहोर)	6/05 से 3/07
35	इच्छावर (सीहोर)	8/05 से 3/07
36	विजाबर (छतरपुर)	5/06 से 6/07

परिशिष्ट संख्या-33

(पैरा-3.8.3)

कोषालय / उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	अवधि जिसमें ध्रुव भरा हुआ न पाया जाना
1	बड़वाहा (खरगोन)	11/06 से 11/07	2007-08
2	भीकनगांव (खरगोन)	8/06 से 11/07	---"---
3	मण्डलेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07	---"---
4	कसरावद (खरगोन)	11/06 से 11/07	---"---
5	सैगांव (खरगोन)	11/06 से 11/07	---"---
6	सनावद (खरगोन)	11/06 से 11/07	---"---
7	सोहागपुर (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08	---"---
8	होशंगाबाद	6/06 से 2/08	---"---
9	सतना	1/07 से 1/08	---"---
10	रामपुर बधेलान (सतना)	12/06 से 12/07	---"---
11	मैहर (सतना)	1/07 से 12/07	---"---
12	नागौद (सतना)	9/06 से 1/08	---"---
13	कन्नौद (देवास)	7/05 से 4/07	---"---
14	खातेगांव (देवास)	2/06 से 4/07	---"---
15	सोनकच्छ (देवास)	2/06 से 4/07	---"---
16	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	---"---
17	परासिया (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	---"---
18	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	---"---
19	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	---"---
20	झाबुआ	8/06 से 7/07	---"---
21	जोबट (झाबुआ)	7/06 से 6/07	---"---
22	जीरापुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	---"---
23	सारंगपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	---"---
24	ब्यावरा (राजगढ़)	4/05 से 5/07	---"---
25	सीधी	12/06 से 10/07	---"---
26	कुसमी (सीधी)	11/06 से 9/07	---"---
27	मझौली (सीधी)	11/06 से 9/07	---"---
28	चुरहट (सीधी)	12/06 से 9/07	---"---
29	देवसर (सीधी)	12/06 से 9/07	---"---
30	सिंहावल (सीधी)	9/06 से 10/07	---"---
31	उज्जैन	2/07 से 2/08	---"---
32	तराना (उज्जैन)	3/07 से 1/08	---"---
33	खाचरौद (उज्जैन)	3/07 से 1/08	---"---
34	बडनगर (उज्जैन)	2/07 से 12/07	---"---
35	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	11/05 से 4/07	---"---

36	राजनगर (छतरपुर)	5/06 से 6/07	---"---
37	बक्सवाहा (छतरपुर)	5/06 से 6/07	---"---
38	बिजावर (छतरपुर)	5/06 से 6/07	---"---
39	कुक्षी (धार)	7/06 से 12/07	---"---
40	धरमपुरी (धार)	8/06 से 12/07	---"---
41	मनावर (धार)	10/06 से 12/07	---"---
42	सरदारपुर (धार)	10/06 से 12/07	---"---
43	गंधवानी (धार)	10/06 से 12/07	---"---
44	सांवेर (इंदौर)	1/07 से 1/08	---"---
45	सिरमौर (रीवा)	11/06 से 10/07	---"---
46	त्योथर (रीवा)	9/06 से 9/07	---"---
47	मऊगंज (रीवा)	9/06 से 9/07	---"---
48	रीवा	9/06 से 9/07	---"---
49	राजपुर (बड़वानी)	8/06 से 7/07	---"---
50	सैंधवा (बड़वानी)	8/06 से 7/07	---"---
51	डबरा (ग्वालियर)	3/07 से 12/07	---"---

परिशिष्ट संख्या-34

(पैरा-3.8.4)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों की निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	महेश्वर (खरगोन)	54
2	बड़वाहा (खरगोन)	20
3	मण्डलेश्वर (खरगोन)	47
4	कसरावद (खरगोन)	03
5	सनावद (खरगोन)	08
6	खरगोन	11
7	पिपरिया (होशंगाबाद)	06
8	सोहागपुर (होशंगाबाद)	08
9	इटारसी (होशंगाबाद)	92
10	होशंगाबाद	113
11	बालाघाट	04
12	वारासिवनी (बालाघाट)	56
13	दमोह	08
14	हटा (दमोह)	02
15	सतना	248
16	मैहर (सतना)	138
17	अमरपाटन (सतना)	03
18	देवास	57
19	सागर	193
20	खुरई (सागर)	57
21	देवरी (सागर)	105
22	बीना (सागर)	21
23	रहली (सागर)	54
24	मण्डला	337
25	निवास (मण्डला)	03
26	छिन्दवाड़ा	17
27	धार	06
28	बैतूल	133
29	मुलताई (बैतूल)	75
30	भैंसदेही (बैतूल)	11
31	सिवनी	10
32	गुना	44
33	चाचौड़ा (गुना)	76
34	राधौगढ़ (गुना)	14
35	झाबुआ	93
36	अलीराजपुर (झाबुआ)	05

37	पेटलावद (झाबुआ)	56
38	जोबट (झाबुआ)	11
39	थांदला (झाबुआ)	84
40	राजगढ	22
41	खिलचीपुर (राजगढ)	18
42	नरसिंहगढ (राजगढ)	93
43	ब्यावरा (राजगढ)	04
44	रतलाम	05
45	उमरिया	101
46	सीधी	185
47	मझौली (सीधी)	03
48	देवसर (सीधी)	102
49	बैढन (सीधी)	54
50	उज्जैन	477
51	तराना (उज्जैन)	04
52	खाचरौद (उज्जैन)	36
53	महिदपुर (उज्जैन)	25
54	नागदा (उज्जैन)	02
55	बड़नगर (उज्जैन)	114
56	टीकमगढ	11
57	निवाड़ी (टीकमगढ)	03
58	जबलपुर	53
59	सिहोरा (जबलपुर)	07
60	पाटन (जबलपुर)	22
61	छतरपुर	499
62	नौगांव (छतरपुर)	01
63	लौंडी (छतरपुर)	14
64	बिजावर (छतरपुर)	114
65	नरसिंहपुर	141
66	मल्हारगढ (मंदसौर)	01
67	गरोठ (मंदसौर)	02
68	बदनावर (धार)	03
69	धरमपुरी (धार)	06
70	देपालपुर (इंदौर)	06
71	महू (इंदौर)	84
72	सांवेर (इंदौर)	06
73	इंदौर (इंदौर सिटी)	54
74	बड़वानी	29
75	सेंधवा (बड़वानी)	39
76	रीवा	586
77	ग्वालियर	27
78	भोपाल	213
79	सीहोर	138
80	नसरुल्लागंज (सीहोर)	08
81	बुदनी (सीहोर)	02

82	आष्टा (सीहोर)	01
83	इच्छावर (सीहोर)	05
84	शाजापुर	186
85	आगर (शाजापुर)	04
86	विदिशा	15
87	गंजवासौदा (विदिशा)	01
	योग	5809

परिशिष्ट संख्या-35

(पैरा-3.8.5)

कोषालय के दृढ़ कक्ष में विभाग द्वारा रखे गये दोहरी चाबियों के पैकेट्स नियमानुसार वापस न होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	बड़वाहा (खरगोन)	02
2	भीकनगांव (खरगोन)	09
3	मण्डलेश्वर (खरगोन)	03
4	कसरावद (खरगोन)	02
5	सैगांव (खरगोन)	06
6	सनावद (खरगोन)	13
7	खरगोन	22
8	पिपरिया (होशंगाबाद)	05
9	होशंगाबाद	04
10	बालाघाट	03
11	कटंगी (बालाघाट)	02
12	दमोह	03
13	सतना	22
14	रामपुर बधेलान (सतना)	01
15	मैहर (सतना)	05
16	अमरपाटन (सतना)	06
17	देवास	04
18	कन्नौद (देवास)	04
19	सोनकच्छ (देवास)	02
20	सागर	04
21	देवरी (सागर)	05
22	बीना (सागर)	01
23	रहली (सागर)	03
24	मण्डला	08
25	नैनपुर (मण्डला)	02
26	निवास (मण्डला)	04
27	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	07
28	धार	13
29	बैतूल	16
30	मुलताई (बैतूल)	06
31	शाहपुर (बैतूल)	12
32	सिवनी	01
33	लखनादौन (सिवनी)	03
34	गुना	29
35	चाचौड़ा (गुना)	01
36	राधौगढ़ (गुना)	10
37	झाबुआ	05

38	अलीराजपुर (झाबुआ)	04
39	पेटलावद (झाबुआ)	02
40	थांदला (झाबुआ)	05
41	राजगढ़	17
42	खिलचीपुर (राजगढ़)	03
43	ब्यावरा (राजगढ़)	01
44	रतलाम	02
45	उमरिया	28
46	सीधी	21
47	मझौली (सीधी)	04
48	चितरंगी (सीधी)	01
49	बैढ़न (सीधी)	01
50	उज्जैन	18
51	तराना (उज्जैन)	03
52	खाचरौद (उज्जैन)	01
53	महिदपुर (उज्जैन)	01
54	बड़नगर (उज्जैन)	03
55	टीकमगढ़	07
56	निवाड़ी (टीकमगढ़)	04
57	जबलपुर	98
58	सिहोरा (जबलपुर)	10
59	पाटन (जबलपुर)	06
60	नरसिंहपुर	18
61	छतरपुर	04
62	नौगांव (छतरपुर)	05
63	लौंडी (छतरपुर)	02
64	बिजावर (छतरपुर)	03
65	मंदसौर	02
66	मल्हारगढ़ (मंदसौर)	03
67	गरोट (मंदसौर)	05
68	बदनावर (धार)	01
69	धरमपुरी (धार)	03
70	देपालपुर (इंदौर)	01
71	महू (इंदौर)	01
72	रीवा	46
73	पानसेमल (बड़वानी)	01
74	डिण्डोरी	05
75	ग्वालियर	01
76	भोपाल	116
77	सीहोर	22
78	नसरुल्लागंज (सीहोर)	01
79	बुदनी (सीहोर)	09
80	शाजापुर	22
81	गंजवासौदा (विदिशा)	03
	योग	762

परिशिष्ट संख्या-36

(पैरा-3.8.6)

खजांची / भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाने वाले कोषालय / उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि
1	सनावद (खरगौन)	11/06 से 11/07
2	पिपरिया (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08
3	सोहागपुर (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08
4	इटारसी (होशंगाबाद)	1/07 से 2/08
5	पचमढी (होशंगाबाद)	10/06 से 2/08
6	होशंगाबाद	6/06 से 2/08
7	बैहर (बालाघाट)	8/06 से 11/07
8	लांजी (बालाघाट)	12/06 से 11/07
9	सतना	1/07 से 1/08
10	रामपुर बधेलान (सतना)	12/06 से 12/07
11	नागौद (सतना)	9/06 से 1/08
12	मण्डला	1/07 से 12/07
13	नैनपुर (मण्डला)	1/07 से 12/07
14	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	12/06 से 10/07
15	मुलताई (बैतूल)	9/06 से 7/07
16	सिवनी	10/06 से 9/07
17	पेटलावद (झाबुआ)	7/06 से 6/07
18	राजगढ़	6/05 से 5/07
19	जीरापुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07
20	सीधी	12/06 से 10/07
21	कुसमी (सीधी)	11/06 से 9/07
22	उज्जैन	2/07 से 2/08
23	तराना (उज्जैन)	3/07 से 1/08
24	महिदपुर (उज्जैन)	3/07 से 1/08
25	हनुमना (रीवा)	11/06 से 10/07
26	मऊगंज (रीवा)	9/06 से 9/07
27	ग्वालियर	1/07 से 12/07
28	दोराहा (सीहोर)	8/05 से 3/07

परिशिष्ट संख्या-37

(पैरा-3.9.1)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	राशि
1	महेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07	27315
2	बड़वाहा (खरगोन)	11/06 से 11/07	63161
3	भीकनगांव (खरगोन)	8/06 से 11/07	37875
4	मण्डलेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07	18195
5	कसरावद (खरगोन)	11/06 से 11/07	35145
6	सैगांव (खरगोन)	11/06 से 11/07	7965
7	सनावद (खरगोन)	11/06 से 11/07	68424
8	खरगोन	7/06 से 10/07	164964
9	पिपरिया (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08	95251
10	सोहागपुर (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08	55043
11	इटारसी (होशंगाबाद)	1/07 से 2/08	128098
12	होशंगाबाद	6/06 से 2/08	192240
13	वारासिवनी (बालाघाट)	12/06 से 11/07	88334
14	कटंगी (बालाघाट)	12/06 से 11/07	26712
15	दमोह	4/05 से 3/07	99152
16	हटा (दमोह)	1/06 से 4/07	17322
17	तेंदूखेड़ा (दमोह)	1/06 से 4/07	14979
18	सतना	1/07 से 1/08	280162
19	रामपुर बधेलान (सतना)	12/06 से 12/07	23706
20	मैहर (सतना)	1/07 से 12/07	44414
21	नागौद (सतना)	9/06 से 1/08	48221
22	अमरपाटन (सतना)	9/06 से 10/07	51759
23	देवास	3/06 से 3/07	479122
24	बागली (देवास)	2/06 से 4/07	41953
25	कन्नौद (देवास)	7/05 से 4/07	35793
26	खातेगांव (देवास)	2/06 से 4/07	53664
27	सोनकच्छ (देवास)	2/06 से 4/07	73460
28	सागर	11/06 से 11/07	393181
29	खुरई (सागर)	6/06 से 11/07	82450
30	देवरी (सागर)	6/06 से 10/07	50284
31	बीना (सागर)	6/06 से 8/07	100825
32	रहली (सागर)	6/06 से 10/07	31298
33	गढ़ाकोटा (सागर)	11/06 से 10/07	12925
34	मण्डला	1/07 से 12/07	85607
35	नैनपुर (मण्डला)	1/07 से 12/07	15446

36	निवास (मण्डला)	1/07 से 12/07	10351
37	छिन्दवाड़ा	10/06 से 10/07	330636
38	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	12/06 से 10/07	76492
39	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	61125
40	परासिया (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	37300
41	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	31598
42	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	17745
43	धार	2/07 से 1/08	342244
44	बैतूल	9/06 से 7/07	241010
45	मुलताई (बैतूल)	9/06 से 7/07	72764
46	भैंसदेही (बैतूल)	8/06 से 7/07	16548
47	गुना	6/05 से 3/07	200674
48	चाचौड़ा (गुना)	10/05 से 5/07	37125
49	राधौगढ़ (गुना)	10/05 से 4/07	54981
50	झाबुआ	8/06 से 7/07	33136
51	अलीराजपुर (झाबुआ)	7/06 से 6/07	16516
52	पेटलावद (झाबुआ)	7/06 से 6/07	290655
53	जोबट (झाबुआ)	7/06 से 6/07	20310
54	थांदला (झाबुआ)	7/06 से 6/07	34780
55	राजगढ़	6/05 से 5/07	40080
56	खिलचीपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	20583
57	जीरापुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	27001
58	सारंगपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	70792
59	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	4/05 से 5/07	75496
60	ब्यावरा (राजगढ़)	4/05 से 5/07	55220
61	रतलाम	9/06 से 8/07	521284
62	जावरा (रतलाम)	2/03 से 8/07	81532
63	आलोट (रतलाम)	9/06 से 8/07	47113
64	उमरिया	5/05 से 10/07	24130
65	सीधी	12/06 से 10/07	127477
66	चुरहट (सीधी)	12/06 से 10/07	4715
67	देवसर (सीधी)	12/06 से 10/07	19294
68	चितरंगी (सीधी)	8/06 से 9/07	629
69	बैढन (सीधी)	8/06 से 10/07	102891
70	उज्जैन	2/07 से 2/08	743875
71	घटिया (उज्जैन)	9/06 से 1/08	11550
72	तराना (उज्जैन)	3/07 से 1/08	54836
73	खाचरौद (उज्जैन)	3/07 से 1/08	54501
74	महिदपुर (उज्जैन)	3/07 से 1/08	76354
75	नागदा (उज्जैन)	5/06 से 8/07	67462
76	बड़नगर (उज्जैन)	2/07 से 12/07	118479
77	टीकमगढ़	6/05 से 3/07	134107
78	निवाड़ी (टीकमगढ़)	4/05 से 3/07	46215
79	जतारा (टीकमगढ़)	4/05 से 3/07	68430
80	जबलपुर	4/06 से 6/07	1593854

81	सिहोरा (जबलपुर)	5/06 से 7/07	119636
82	पाटन (जबलपुर)	6/06 से 6/07	61501
83	नरसिंहपुर	11/05 से 4/07	177848
84	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	11/05 से 4/07	51159
85	गाडरवारा (नरसिंहपुर)	2/06 से 5/07	132438
86	करेली (नरसिंहपुर)	1/06 से 4/07	51708
87	छतरपुर	6/06 से 6/07	195506
88	नौगांव (छतरपुर)	6/06 से 6/07	86656
89	राजनगर (छतरपुर)	5/06 से 6/07	63376
90	बक्सवाहा (छतरपुर)	5/06 से 6/07	5402
91	लौंडी (छतरपुर)	5/06 से 6/07	77492
92	विजावर (छतरपुर)	5/06 से 6/07	34637
93	मंदसौर	6/05 से 5/07	164785
94	मल्हारगढ़ (मंदसौर)	7/05 से 5/07	68695
95	सीतामऊ (मंदसौर)	7/05 से 5/07	45090
96	सुवासरा (मंदसौर)	7/05 से 5/07	776
97	गरोठ (मंदसौर)	5/05 से 5/07	137329
98	बदनावर (धार)	2/07 से 1/08	92006
99	कुक्षी (धार)	7/06 से 12/07	39063
100	धरमपुरी (धार)	8/06 से 12/07	49408
101	मनावर (धार)	10/06 से 12/07	57279
102	सरदारपुर (धार)	10/06 से 12/07	38966
103	देपालपुर (इंदौर)	1/07 से 12/07	86769
104	महू (इंदौर)	1/07 से 1/08	240272
105	सांवेर (इंदौर)	1/07 से 1/08	68997
106	सिरमौर (रीवा)	9/06 से 9/07	25412
107	हनुमना (रीवा)	11/06 से 10/07	30319
108	त्यौंथर (रीवा)	9/06 से 9/07	60014
109	मऊगंज (रीवा)	9/06 से 9/07	52710
110	रीवा	9/06 से 9/07	377000
111	बड़वानी	7/06 से 6/07	56763
112	राजपुर (बड़वानी)	8/06 से 7/07	45210
113	पानसेमल (बड़वानी)	7/06 से 7/07	18129
114	संधवा (बड़वानी)	8/06 से 7/07	51390
115	डिण्डोरी	1/06 से 9/07	36629
116	ग्वालियर	1/07 से 12/07	1690064
117	डबरा (ग्वालियर)	3/07 से 12/07	262171
118	भोपाल	9/06 से 11/07	3785150
119	बैरसिया (भोपाल)	12/06 से 11/07	47674
120	सीहोर	3/05 से 4/07	165189
121	बुदनी (सीहोर)	7/05 से 3/07	56507
122	नसरुल्लागंज (सीहोर)	6/05 से 3/07	43964
123	दोराहा (सीहोर)	8/05 से 3/07	18759
124	इच्छावर (सीहोर)	8/05 से 3/07	23879
125	आष्टा (सीहोर)	2/06 से 3/07	81491

126	शाजापुर	6/05 से 3/07	99225
127	शुजालपुर (शाजापुर)	4/05 से 5/07	76877
128	सुसनेर (शाजापुर)	4/05 से 5/07	50245
129	आगर (शाजापुर)	4/05 से 5/07	64205
130	विदिशा	9/06 से 8/07	251052
131	लटेरी (विदिशा)	6/05 से 8/07	29046
132	नटेरन (विदिशा)	6/05 से 8/07	34441
133	गंजवासौदा (विदिशा)	12/05 से 8/07	123605
134	ग्यारसपुर (विदिशा)	6/05 से 8/07	10484
135	सिरोंज (विदिशा)	6/05 से 8/07	62747
136	कुरवाई (विदिशा)	12/06 से 11/07	55796
		योग	19091276

परिशिष्ट संख्या-38

(पैरा-3.9.2)

मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	मुद्रांकों के अधिक भण्डारण की राशि			
			अदालती	गैर अदालती	अन्य	योग
1	महेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07	1567190	2477810	1858920	5903920
2	बड़वाहा (खरगोन)	11/06 से 11/07	793240	5023140	3089685	8906065
3	भीकनगांव (खरगोन)	8/06 से 11/07	3586335	17642540	3022265	24251140
4	मण्डलेश्वर (खरगोन)	10/06 से 10/07	899195	614575	3165305	4679075
5	कसरावद (खरगोन)	11/06 से 11/07	2336602	—	5999520	8336122
6	सैगांव (खरगोन)	11/06 से 11/07	85498	1661503	1883250	3630251
7	सनावद (खरगोन)	11/06 से 11/07	2603730	13226975	2108375	17939080
8	खरगोन	7/06 से 10/07	4410000	42900000	1078000	48388000
9	पिपरिया (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08	138510	3738213	267330	4144053
10	सोहागपुर (होशंगाबाद)	11/06 से 1/08	149105	791500	735940	1676545
11	इटारसी (होशंगाबाद)	1/07 से 2/08	435900	—	362380	798280
12	पचमढी (होशंगाबाद)	10/06 से 2/08	3041	117935	18000	138976
13	होशंगाबाद	6/06 से 2/08	561980	190531400	10973260	202066640
14	हटा (दमोह)	1/06 से 4/07	449279	—	1757510	2206789
15	तेंदूखेडा (दमोह)	1/06 से 4/07	19740	3918310	—	3938050
16	रामपुर बधेलान (सतना)	12/06 से 12/07	—	—	672060	672060
17	मैहर (सतना)	1/07 से 12/07	2803745	—	43283208.25	46086953.25
18	नागौद (सतना)	9/06 से 1/08	1378428	—	801318	2179746
19	अमरपाटन (सतना)	9/06 से 10/07	644971	5892560	38000	6575531
20	कन्नौद (देवास)	7/05 से 4/07	888510	14401925	179250	15469685
21	खातेगांव (देवास)	2/06 से 4/07	375052	66850	318750	760652
22	सोनकच्छ (देवास)	2/06 से 4/07	102718	—	323450	426168
23	सागर	11/06 से 11/07	5077049	—	58376954	63454003
24	खुरई (सागर)	6/06 से 11/07	122130	958500	534870	1615500
25	देवरी (सागर)	6/06 से 10/07	10492	4838065	46840	4895397
26	बीना (सागर)	6/06 से 8/07	351260	—	—	351260
27	रहली (सागर)	6/06 से 10/07	229380	13665000	211520	14105900
28	गढ़ाकोटा (सागर)	11/06 से 10/07	44300	109000	—	153300
29	परासिया (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	264420	6282000	—	6546420
30	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	6/06 से 7/07	58305	4312050	407985	4778340
31	धार	2/07 से 1/08	28474960	24825360	—	53300320
32	बैतूल	9/06 से 7/07	551982	32503055	—	33055037
33	मुलताई (बैतूल)	9/06 से 7/07	239593	—	632603	872196
34	शाहपुर (बैतूल)	9/06 से 7/07	23800	110300	—	134100
35	भैंसदेही (बैतूल)	8/06 से 7/07	117525	5032265	12950	5162740
36	गुना	6/05 से 3/07	—	—	2206300	2206300
37	राधौगढ़ (गुना)	10/05 से 4/07	139180	10553375	868960	11562115

38	झाबुआ	8/06 से 7/07	15600000	43700000	—	59300000
39	अलीराजपुर (झाबुआ)	7/06 से 6/07	1203960	17768000	129600	19101560
40	पेटलावद (झाबुआ)	7/06 से 6/07	1010735	4662000	12000	5684735
41	जोबट (झाबुआ)	7/06 से 6/07	262430	9982400	124200	10369030
42	थांदला (झाबुआ)	7/06 से 6/07	—	3530000	190500	3720500
43	राजगढ़	6/05 से 5/07	—	147400000	8537210	155937210
44	खिलचीपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	—	3679240	—	3679240
45	सारंगपुर (राजगढ़)	4/05 से 5/07	144300	2765500	46700	2956500
46	ब्यावरा (राजगढ़)	4/05 से 5/07	4702	7256029	91800	7352531
47	जावरा (रतलाम)	2/03 से 8/07	2707930	31172450	2398800	36279180
48	बाजना (रतलाम)	8/06 से 8/07	11290	12770	—	24060
49	सीधी	12/06 से 10/07	2204942	—	19402345	21607287
50	चुरहट (सीधी)	12/06 से 10/07	—	268200	25180	293380
51	देवसर (सीधी)	12/06 से 10/07	43460	770000	26500	839960
52	चितरंगी (सीधी)	8/06 से 9/07	62400	917850	35060	1015310
53	बैढन (सीधी)	8/06 से 10/07	58290	—	57750	116040
54	सिंहावल (सीधी)	9/06 से 10/07	64490	90200	6250	160940
55	घटिया (उज्जैन)	9/06 से 1/08	—	949380	72000	1021380
56	महिदपुर (उज्जैन)	3/07 से 1/08	503300	12858081	—	13361381
57	नागदा (उज्जैन)	5/06 से 8/07	358620	13615670	5177250	19151540
58	बड़नगर (उज्जैन)	2/07 से 12/07	3315790	5654825	1448200	10418815
59	टीकमगढ़	6/05 से 3/07	—	—	2734624	2734624
60	निवाड़ी (टीकमगढ़)	4/05 से 3/07	81047	660108	183422	924577
61	जतारा (टीकमगढ़)	4/05 से 3/07	66548	4039900	11879	4118327
62	जबलपुर	4/06 से 6/07	—	—	191646549	191646549
63	सिहोरा (जबलपुर)	5/06 से 7/07	1973035	7846707	8865730	11625472
64	पाटन (जबलपुर)	6/06 से 6/07	231620	15671800	2783020	18686440
65	गोटेगांव (नरसिंहपुर)	11/05 से 4/07	441300	549300	—	990600
66	गाडरवारा (नरसिंहपुर)	2/06 से 5/07	1845611	954455	—	2800066
67	करेली (नरसिंहपुर)	1/06 से 4/07	71600	1494850	—	1566450
68	छतरपुर	6/06 से 6/07	—	—	106575	106575
69	नौगांव (छतरपुर)	6/06 से 6/07	450394	10721885	322495	11494774
70	राजनगर (छतरपुर)	5/06 से 6/07	34040	—	46570	80610
71	बक्सवाहा (छतरपुर)	5/06 से 6/07	26780	—	—	26780
72	लौंडी (छतरपुर)	5/06 से 6/07	—	1964700	153300	2118000
73	विजावर (छतरपुर)	5/06 से 6/07	201705	—	206720	408425
74	मल्हारगढ़ (मंदसौर)	7/05 से 5/07	102605	2151090	120255	2373950
75	सीतामऊ (मंदसौर)	7/05 से 5/07	370575	3442060	160430	3973065
76	सुवासरा (मंदसौर)	7/05 से 5/07	98990	8140	179860	286990
77	गरोठ (मंदसौर)	5/05 से 5/07	2198180	27215	777130	3002525
78	बदनावर (धार)	2/07 से 1/08	1269450	2803230	18240	4090920
79	कुक्षी (धार)	7/06 से 12/07	290550	6850875	40610	7182035
80	धरमपुरी (धार)	8/06 से 12/07	81455	2023375	32580	2137410
81	मनावर (धार)	10/06 से 12/07	1039100	—	19920	1059020
82	सरदारपुर (धार)	10/06 से 12/07	600095	6128425	18850	6747370
83	देपालपुर (इंदौर)	1/07 से 12/07	108400	3888000	185160	4181560
84	महू (इंदौर)	1/07 से 1/08	835150	11528500	31041920	43405570
85	सांवेर (इंदौर)	1/07 से 1/08	197930	46452565	111100	40761595

86	सिरमौर (रीवा)	9/06 से 9/07	129320	2640720	324500	3094540
87	हनुमना (रीवा)	11/06 से 10/07	68960	2536000	—	2604960
88	त्यौंथर (रीवा)	9/06 से 9/07	248590	4148100	1489080	5885770
89	मऊगंज (रीवा)	9/06 से 9/07	406300	4576610	24000	5006910
90	राजपुर (बड़वानी)	8/06 से 7/07	9907632	35897000	563680	46368312
91	पानसेमल (बड़वानी)	7/06 से 7/07	340965	—	300710	641675
92	सेंधवा (बड़वानी)	8/06 से 7/07	3483710	22950140	—	26433850
93	ग्वालियर	1/07 से 12/07	—	—	152051610	152051610
94	डबरा (ग्वालियर)	3/07 से 12/07	—	—	1137528	1137528
95	भोपाल	9/06 से 11/07	—	—	1082364337	1082364337
96	बैरसिया (भोपाल)	12/06 से 11/07	—	—	127770	127770
97	सीहोर	3/05 से 4/07	—	103700000	54398360	158098360
98	नसरुल्लागंज (सीहोर)	6/05 से 3/07	68040	2133570	41700	2243310
99	बुदनी (सीहोर)	7/05 से 3/07	391105	13501520	35100	13927725
100	इच्छावर (सीहोर)	8/05 से 3/07	—	1257600	128480	1386080
101	दोराहा (सीहोर)	8/05 से 3/07	51040	1795485	13529	1860054
102	शाजापुर	6/05 से 3/07	—	—	1770000	1770000
103	शुजालपुर (शाजापुर)	4/05 से 5/07	1732445	9278975	—	11011420
104	आगर (शाजापुर)	4/05 से 5/07	545840	8224000	630800	9400640
105	विदिशा	9/06 से 8/07	2155784	—	8473870	10629654
106	लटेरी (विदिशा)	6/05 से 8/07	45490	—	35500	80990
107	शमशाबाद (विदिशा)	6/05 से 8/07	26100	—	332960	359060
108	गंजवासौदा (विदिशा)	12/05 से 8/07	51100	1419815	311575	1782490
109	ग्यारसपुर (विदिशा)	6/05 से 8/07	13000	2512791	532760	3058551
110	सिरॉंज (विदिशा)	6/05 से 8/07	334530	2242670	324200	2901400
	योग		120109895	1061269577	1728195091	2909574563

परिशिष्ट संख्या-39

(पैरा-3.9.3)

मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत कमीशन प्रदाय करना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	कुल राशि
1	दमोह	4/05 से 3/07	41960
2	तेंदूखेड़ा (दमोह)	1/06 से 4/07	2415
3	सतना	1/07 से 1/08	226412
4	रामपुर बधेलान (सतना)	12/06 से 12/07	2223
5	मैहर (सतना)	1/07 से 12/07	15043
6	नागौद (सतना)	9/06 से 1/08	13930
7	देवास	3/06 से 3/07	151269
8	बागली (देवास)	2/06 से 4/07	13655
9	कन्नौद (देवास)	7/05 से 4/07	29645
10	खातेगांव (देवास)	2/06 से 4/07	19320
11	सोनकच्छ (देवास)	2/06 से 4/07	20071
12	छिन्दवाड़ा	10/06 से 10/07	209356
13	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	12/06 से 10/07	55015
14	जबलपुर	4/06 से 6/07	559496
15	सिहोरा (जबलपुर)	5/06 से 7/07	20802
16	नरसिंहपुर	11/05 से 4/07	15320
17	डिण्डोरी	1/06 से 9/07	26067
18	सुसनेर (शाजापुर)	4/05 से 5/07	32239
	योग		1454238

परिशिष्ट संख्या-40

(पैरा-3.9.4)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक कार्यालय आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	महेश्वर (खरगोन)	31	उज्जैन
2	सैगांव (खरगोन)	32	घटिया (उज्जैन)
3	सनावद (खरगोन)	33	तराना (उज्जैन)
4	सोहागपुर (होशंगाबाद)	34	खाचरौद (उज्जैन)
5	इटारसी (होशंगाबाद)	35	महिदपुर (उज्जैन)
6	होशंगाबाद	36	नागदा (उज्जैन)
7	वारासिवनी (बालाघाट)	37	निवाड़ी (टीकमगढ़)
8	बैहर (बालाघाट)	38	जबलपुर
9	हटा (दमोह)	39	सिहोरा (जबलपुर)
10	सतना	40	नरसिंहपुर
11	मैहर (सतना)	41	गोटेगांव (नरसिंहपुर)
12	सीतामऊ (मंदसौर)	42	गाडरवारा (नरसिंहपुर)
13	बागली (देवास)	43	हनुमना (रीवा)
14	नैनपुर (मण्डला)	44	मऊगंज (रीवा)
15	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	45	रीवा
16	परासिया (छिन्दवाड़ा)	46	पानसेमल (बड़वानी)
17	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	47	संधवा (बड़वानी)
18	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	48	डिण्डोरी
19	मुलताई (बैतूल)	49	ग्वालियर
20	केवलारी (सिवनी)	50	भोपाल
21	राधौगढ़ (गुना)	51	नसरुल्लागंज (सीहोर)
22	राजगढ़	52	बुदनी (सीहोर)
23	खिलचीपुर (राजगढ़)	53	आष्टा (सीहोर)
24	जीरापुर (राजगढ़)	54	इच्छावर (सीहोर)
25	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	55	दोराहा (सीहोर)
26	ब्यावरा (राजगढ़)	56	आगर (शाजापुर)
27	जावरा (रतलाम)	57	लटेरी (विदिशा)
28	आलोट (रतलाम)	58	शमशाबाद (विदिशा)
29	उमरिया	59	ग्यारसपुर (विदिशा)
30	मझौली (सीधी)	60	सिरोंज (विदिशा)

परिशिष्ट संख्या-41

(पैरा-3.11.1)

पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	महेश्वर (खरगोन)	38	मझौली (सीधी)
2	बड़वाहा (खरगोन)	39	चुरहट (सीधी)
3	भीकनगांव (खरगोन)	40	देवसर (सीधी)
4	मण्डलेश्वर (खरगोन)	41	बैढन (सीधी)
5	कसरावद (खरगोन)	42	सिंहावल (सीधी)
6	सैगांव (खरगोन)	43	घटिया (उज्जैन)
7	सनावद (खरगोन)	44	बड़नगर (उज्जैन)
8	खरगोन	45	टीकमगढ़
9	पिपरिया (होशंगाबाद)	46	नरसिंहपुर
10	बाबई (होशंगाबाद)	47	गोटेगांव (नरसिंहपुर)
11	सोहागपुर (होशंगाबाद)	48	धार
12	इटारसी (होशंगाबाद)	49	बदनावर (धार)
13	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	50	कुक्षी (धार)
14	होशंगाबाद	51	धरमपुरी (धार)
15	लांजी (बालाघाट)	52	मनावर (धार)
16	दमोह	53	सरदारपुर (धार)
17	कन्नौद (देवास)	54	गंधवानी (धार)
18	खातेगांव (देवास)	55	देपालपुर (इंदौर)
19	सोनकच्छ (देवास)	56	महू (इंदौर)
20	सागर	57	सांवेर (इंदौर)
21	देवरी (सागर)	58	इंदौर (इंदौर सिटी)
22	रहली (सागर)	59	इंदौर सिटी
23	छिन्दवाड़ा	60	सिरमौर (रीवा)
24	बैतूल	61	हनुमना (रीवा)
25	सिवनी	62	त्योथर (रीवा)
26	लखनादौन (सिवनी)	63	मऊगंज (रीवा)
27	झाबुआ	64	रीवा
28	अलीराजपुर (झाबुआ)	65	बड़वानी
29	पेटलावद (झाबुआ)	66	राजपुर (बड़वानी)
30	जोबट (झाबुआ)	67	वल्लभ भवन (भोपाल)
31	थांदला (झाबुआ)	68	डबरा (ग्वालियर)
32	राजगढ़	69	भोपाल
33	खिलचीपुर (राजगढ़)	70	वैरसिया (भोपाल)
34	जीरापुर (राजगढ़)	71	सीहोर
35	उमरिया	72	विदिशा
36	सीधी	73	गंजवासौदा (विदिशा)
37	कुसमी (सीधी)	74	ग्यारसपुर (विदिशा)

परिशिष्ट संख्या-42

(पैरा-3.11.2)

यात्रा अग्रिम की राशि का समायोजन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	लेखा निरीक्षण अवधि	मद संख्या	राशि रू.
1	खरगोन	7/06 से 10/07	15	8600
2	दमोह	4/05 से 3/07	20	20400
3	सतना	1/07 से 1/08	10	6200
4	मंदसौर	6/05 से 5/07	04	7800
5	देवास	3/06 से 3/07	04	4000
6	मण्डला	1/07 से 12/07	02	6600
7	छिन्दवाड़ा	10/06 से 10/07	49	26790
8	धार	2/07 से 1/08	08	4800
9	सिवनी	10/06 से 9/07	01	750
10	झाबुआ	8/06 से 7/07	02	2400
11	टीकमगढ़	6/05 से 3/07	16	22825
12	इंदौर सिटी	2/07 से 1/08	01	1000
13	बड़वानी	7/06 से 6/07	05	3800
14	रीवा	9/06 से 9/07	06	45000
	योग		143	160965

परिशिष्ट संख्या-43

(पैरा-3.11.3)

माननीय विधायकों से दूरभाष तथा अन्य वसूली न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	लेखा निरी/व्यय लेखा परीक्षा अवधि	दूरभाष	आवास	कुल
1	सतना	1/07 से 1/08	575	21196	21771
2	धार	2/07 से 1/08	10572	—	10572
3	झाबुआ	8/06 से 7/07	951	—	951
4	जोबट (झाबुआ)	7/06 से 6/07	3570	—	3570
5	उमरिया	5/05 से 10/07	18655	—	18655
6	उज्जैन	2/07 से 2/08	2984	—	2984
7	जबलपुर सिटी	4/06 से 6/07	2399	—	2399
8	छतरपुर	6/06 से 6/07	22707	—	22707
9	वल्लभ भवन (भोपाल)	3/07 से 2/08	79804	—	79804
10	ग्यारसपुर (विदिशा)	12/06 से 11/07	4877	—	4877
	योग		147094	21196	168290

